आवास भारती

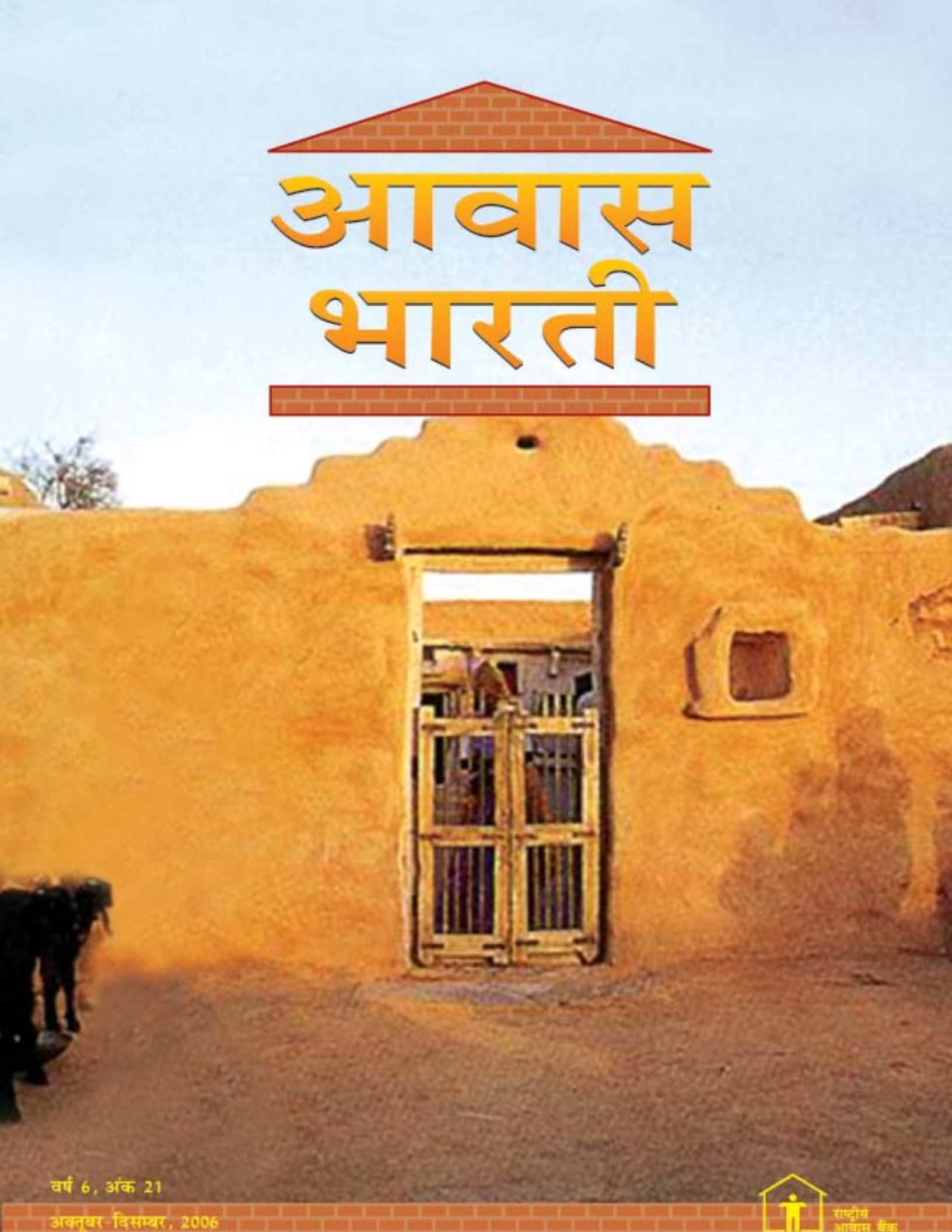

वर्ष 6, अंक 21

अक्तूबर-दिसम्बर, 2006

राष्ट्रीय आवास बैंक

आवास का मनुष्य के जीवन में महत्व

- आवास से उत्पादकता में वृद्धि होती है।
- आवास से सामुदायिक भावना को बल मिलता है।
- आवास से सामाजिक सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
- आवास मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है।
- आवास निर्माण-संबंधित उद्योगों के विकास में सहायक है।
- देश के आर्थिक विकास में आवास एक महत्वपूर्ण घटक है।
- आवास मनुष्य को प्राकृतिक आपदाओं से संरक्षण प्रदान करता है।
- आवास मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
- आवास निमार्ण रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

आवास भारती

वर्ष 6, अंक 21, अक्तूबर-दिसम्बर, 2006

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका

(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)

पंजी. संख्या : दिल्ली इन/2001/6138

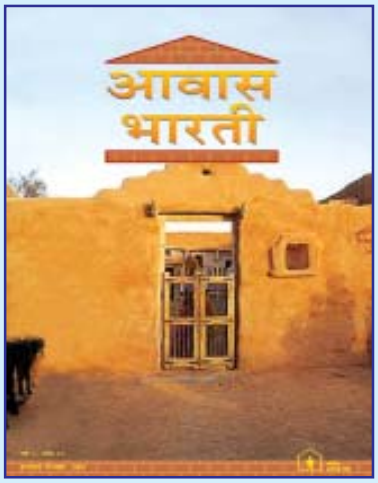

प्रधान संरक्षक

एस. श्रीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संरक्षक

सुरेन्द्र कुमार, कार्यपालक निदेशक

संयुक्त संरक्षक

पी. के. कौल, महाप्रबंधक

संपादक

ओ. पी. पुरी, सहायक महाप्रबंधक

उप संपादक

रंजन कुमार बरुन, प्रबंधक

संपादक मंडल

राकेश कुमार, सहायक महाप्रबंधक

मि.गो. देशपाण्डे, प्रबंधक-मुम्बई कार्यालय से

किशोर कुंभारे, प्रबंधक

संजय कुमार, उप प्रबंधक

पूनम चौरसिया, सहायक प्रबंधक

ऋतु शर्मा, सहायक प्रबंधक

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं। संपादक या बैंक का इनके लिए जिम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

विषय सूची

विषय	पृष्ठ सं.
संपादकीय	2
भारत में भूमि अभिलेख का कंप्यूटरीकरण	3
मानवता हेतु आवास	6
आस्ति गुणवत्ता का विपणन एवं अनुरक्षण	8
निराशा छोड़-आशावादी बनें	9
सुरक्षित पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना	10
काले धन को वैध बनाने से रोकने से संबंधित अधिनियम	13
काव्य सुधा	16
नियति चक्र	17
भारत के प्रदेश : बिहार	18
राष्ट्रीय आवास बैंक की व्यावसायिक गतिविधियां	20
राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार	22
मिर्जा गालिब	23
आपकी पाती	24

संपादक की कलम से

देश की राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा के रुप में प्रतिष्ठित भाषा ''हिंदी'' अब भारत के जन जन में रम चुकी है। भारत के संविधान निर्माताओं का ''हिंदी'' को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय एकदम सटीक एवं तर्कसंगत था। आज अगर हम अपने आस पास नजर दौड़ायें, तो हम पाएंगे भारत के सभी राज्यों में हिंदी की पैठ बन चुकी है एवं संपर्क भाषा के रुप में हिंदी का वर्चस्व कायम है। बड़ी विदेशी कंपनियों को भी अपने उत्पादों की बेहतर बिक्री के लिए हिंदी माध्यम से विज्ञापन दिए जाने की जरुरत लगातार महसूस हो रही है एवं पेप्सी, कोका कोला, दूरसंचार आदि कंपनियां अपने लुभावने विज्ञापन हिंदी में ही दे रही हैं।

आज अर्थशास्त्रियों के इस अनुमान को भुनाने के लिए, कि आनेवाले समय में उपभोक्ता बाजार ग्रामीण भारत होगा, कंपनियां गांवों में अपनी जड़ें जमाने के लिए पुरज़ोर कोशिश कर रही हैं। आज आप किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की हेल्पलाईन पर फोन करें तो तुरंत यह विकल्प कंपनी देती है कि आप हिंदी में बात करना चाहते हैं या अंग्रेजी में। एक अनुमान अनुसार ज्यादातर लोग हिंदी भाषा का विकल्प चुनते हैं एवं अपनी समस्या का समाधान इसी भाषा में पाना चाहते हैं।

एक समय था जब कंप्यूटीकरण के दौर में यह माना जा रहा था कि भारत में हिंदी का क्षेत्र सिमटेगा, परंतु यह सब धारणाएं गलत साबित हुई एवं आज हिंदी का क्षेत्र भारत से निकलकर वैश्विक हो गया है बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शिरकत करने के बाद देश के कई प्रतिनिधि हिंदी में पत्रकारों से बात करते नज़र आते हैं। हाल ही में दिल्ली में संपन्न प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पधारे प्रवासी भारतियों ने आपस में अधिकतर हिंदी में ही बात कर इस भाषा की मजबूती पर अपनी मोहर लगाई।

मेरी यह व्यक्तिगत राय है कि आने वाले समय में भारत के साथ ''हिंदी'' का परचम पूरे विश्व में लहरायेगा एवं प्रत्येक भारतवासीअपने को गौरान्वित महसूस करेगा।

ओ.पी. पुरी
संपादक

भारत में भूमि अभिलेख का कंप्यूटरीकरण

कर्नाटक राज्य अध्ययन

सचिन जठार,
उप प्रबंधक

सूचना प्रौद्योगिकी आज के व्यापार जगत को चारों ओर घुमा सकती है और किसी प्रणाली में पुन: बैठ सकती है। हम जानते हैं कि भूमि पर टैक्स से अभिशासन की प्रणालियों को बनाए रखने में और क्रम विकास में एक निर्णायक भूमिका अदा की है। प्राचीनकाल में, भूराजस्व संभवत: एकमात्र ऐसा स्रोत था जिससे सरकार की सम्पूर्ण आय ली जाती थी। इसके अतिरिक्त, इसका प्रभाव समाज के एक बड़े वर्ग पर था क्योंकि समाज के अधिकांश लोग अपनी जीविका और अस्तित्व के लिए भूमि पर भरोसा करते थे। इस प्रकार से भूमि पर टैक्स राज के धन का एक प्राथमिक स्रोत होना सिद्ध हुआ। भारत में, यद्यपि स्वाधीनता के पश्चात् भूराजस्व का महत्व कम हो गया है, तथापि भूमि अभिलेख के महत्व को अभी कम नहीं आंका जा सकता है। इसे सातवीं योजना के दस्तावेज में स्वीकार किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि ''भूमि अभिलेख सभी भूमि सुधारों का आधार होता है और इसलिए भूमि अभिलेख को नियमित अवधि में अद्यतन किया जाना सभी राज्यों में अनिवार्य है।'' भूमि अभिलेख रखना अब प्रशासकों के लिए और अर्थक्षम हो गया है तथा एक भूमि सूचना प्रणाली आज के अभिशासन के सामने एक प्रमुख विषय है।

पूर्वतम प्रणाली की बाध्यताएं

पारम्परिक रूप से भारत में भूमि अभिलेख हस्तलिखित होता था। इसके परिणामस्वरूप कुछ गम्भीर समस्याएं होती थी जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है।

1. पूर्वतम समय में, गांव के लेखपाल भूमि का अभिलेख रखते थे। अभिलेख से स्पष्ट होता है कि अकेले कर्नाटक में 200 लाख अभिलेखों को 9000 से अधिक लेखपालों द्वारा रखा जाता था। उप-जिला कार्यालय में ऐसे अभिलेख की कोई अद्यतन प्रति नहीं होती थी। इस अभिलेख पर गांव के लेखपालों की वास्तविक एकाधिकार की यह स्थिति वर्षों तक प्रचलित रही थी। अभिलेख लोक संवीक्षा के लिए रखे जाते थे और बहुत बार सम्पूर्ण प्रणाली को अपारदर्शी बनाकर विभिन्न कारणों से अद्यतन किए जाते थे।
2. केवल लोगों का चुनाव करने के लिए अत्यधिक एकाधिकार के कारण और लोक संवीक्षा के लिए प्रावधानों के अभाव ने कुछेक का चुनाव करके चालाकी से भूमि अभिलेख के प्रशासन को अनावृत्त किया। सरकार के ऐसे बहुत उदाहरण है जिनमें भूमि निजी पक्षकारों के नाम दर्शाई गई है। वास्तव में, अकेले बैंगलूर प्रभाग में ही, 25 बिलियन मूल्य की सरकारी भूमि के साथ धोखाधड़ी की गई और निजी प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम दर्शाई गई थी।
3. बहुधा मुट्ठीभर अधिकारियों को नियंत्रण करने में अधिक ध्यान केन्द्रित करना किसानों के लिए अपनी भूमि के अभिलेख के प्रावधान के लिए उनके उत्पीड़न और लूट-खसोट अथवा भूमि के विलेख में परिवर्तन के लिए उनके अनुरोध की प्रक्रिया आगे न बढ़ाने का कारण होता था।
4. अभिलेख हाथ से लिखकर रखने के कारण, प्राय: हिताधिकारियों को अभिलेख का विवरण उपलब्ध कराने में असाधारण विलम्ब हो जाता था। जिससे अन्य असुविधाएं पैदा हो जाती थी।
5. भूमि अभिलेख के मानव प्रशासन के कारण परिवर्तन (भूमि के विलेख में परिवर्तन की प्रक्रिया) बहुत ही बोझिल थी। आवेदन-पत्र ग्रामीण अधिकारियों को दिए जाते थे, जिनके पास वास्तव में यह विवेकाधिकार था कि इन आवेदनों पर प्रक्रिया शुरू करें अथवा नहीं। अभिलेख चूंकि विकेन्द्रित ढंग से रखा जाता था, अत: ऐसे आवेदनों को गांव के लेखपालों के पास लम्बित रहने के बारे में उप-जिला स्तर पर रिपोर्ट करने का उपायतंत्र उपलब्ध नहीं था। किसी भी निगरानी व्यवस्था के अभाव में किसान विभाग की क्रम परम्परा से सभी दबाव सहन करते थे।

उन किसानों, जो अपने कृषि कार्यों के लिए बैंकों से संस्थागत-वित्त की तलाश में रहते थे, उनके लिए बैंकरों को भूमि अभिलेख प्रस्तुत करना आवश्यक था। ऐसी जानकारी के रहस्योद्घाटन के थोड़े से नियंत्रण से, किसान प्राय: अधिकारियों के उत्पीड़न और विलम्ब को सहन करने के लिए बाध्य थे।

अंतिम, किन्तु यही नहीं, मानवीय व्यवस्था के कारण सिविल मुकदमों के निपटारे में होनवाला विलम्ब था। भूमि अभिलेखों की जरूरत भूमि आधारित सिविल मुकदमों के निपटारे के लिए न्यायालय के अभिलेख के लिए पड़ती थी।

भूमि अभिलेख के कंप्यूटरीकरण के लिए प्रकरण

भारत सरकार और राज्य सरकारों को अपर्याप्त रूप से रखी गई भूमि अभिलेख व्यवस्था की आवर्ती समस्या से लाभ उठाया गया है क्योंकि इसने भूमि सुधारों के प्रशासन को कठिन बना दिया था और उनके लाभों को व्यर्थ कर दिया था। भूमि अभिलेख की दुर्बल व्यवस्था को एक व्यवस्थित दुर्बलता की भांति देखा गया था जिसने समाज के आर्थिक रूप से तथा सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग पर अत्याचार करने में सहायता की है। संघीय सरकार ने सुव्यवस्थित और अद्यतन भूमि अभिलेख के आंकडा आधार (डाटाबेस) की असवश्यकता को समझते हुए वर्ष 1991 में भूमि अभिलेख के कंप्यूटरीकरण की योजना प्रारम्भ की।

भूमि अभिलेख के कंप्यूटरीकरण पर केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना वर्ष 1988-89 में प्रारम्भ की गई थी। उपर्युक्त 8 ज़िलों/राज्यों में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता से चलाई गई इस परियोजना का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के विभिन्न वर्ग की अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए और भूमि अभिलेख रखने तथा उसे अद्यतन बनाने में मानवीय व्यवस्था में अंतर्निहित समस्याओं को दूर करना था। यह विनिश्चित किया गया

था कि भूमि अभिलेख में अंतर्विष्ट महत्वपूर्ण आंकड़ों को कंप्यूटरीकृत करने के प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे विकास नियोजन में सहायता मिल सके और अभिलेख लोगों/नियोजकों/प्रशासकों के लिए सुगम बनाया जा सके। वर्ष 1991-92 तक यह योजना विभिन्न राज्यों अर्थात् हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, पंजाब तमिलनाडु, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली के 24 जिलों तक बढ़ा दी गई थी।

गुलबर्गा जिला देश में 24 जिलों में से संघीय सरकार की ओर से चयनित प्रमुख जिलों में से एक था। 1996 में, राज्य के सभी जिलों में भूमि अभिलेख के कंप्यूटरीकरण के लिए परियोजना प्रारम्भ कर दी गई थी। जहां अंकीय रूप में भूमि अभिलेख की बपौती पकड़ने के लिए योजना के अधीन निधियां संस्वीकृत की गई थीं, वहीं, इसकी विधिमान्यता और पश्चात्वर्ती अद्यतन के बारे में पर्याप्त स्पष्टता नहीं थी। उप-जिला कंप्यूटरीकरण के लिए कोई धन नहीं दिया गया था, जहां आकड़ों को अद्यतन किया जा सकता था। अत: यह परियोजना अपना कोई उद्देश्य प्राप्त किए बिना असफल हो गई थी। भूमि अभिलेख के कंप्यूटरीकरण के पूर्वतम प्रयासों की विफलता के कारणों का विस्तृत अध्ययन कर्नाटक के संदर्भ में किया गया था। इस अध्ययन से निम्नलिखित कारण उभर कर आए हैं:-

स्पष्टता का अभाव

संघीय सरकार के पास इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए अंगीकृत की जाने वाली रणनीति के बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी।

संबद्धता का अभाव

संभवत: स्पष्टता का अभाव ही परियोजना में राजस्व विभाग के अधिकारियों और जिला प्रशासन को संबद्धता के अभाव की ओर ले गया। आंकड़ा प्रविष्टि प्रक्रिया पर गांव के लेखपालों के प्रशिक्षण के अभाव में गलत और दोषपूर्ण आंकड़ा आधार (डाटाबेस) बन गया। इसके अतिरिक्त, आंकड़ों की विधिमान्यता भी ठीक से नहीं की जाती थी जिससे आंकड़ा आधार (डाटाबेस) में त्रुटियां पैदा हो गईं।

सफल कार्य योजना

इन विषयों के समाधान और साथ ही भूमि अभिलेख को रखने की एक व्यवस्थित प्रणाली लागू करने के लिए, कर्नाटक सरकार ने एक अग्रणी योजना, भूमि अभिलेख की एक कंप्यूटरीकरण योजना, हाथ में ली। परियोजना के अधिदेश के अनुसार यह परियोजना सम्पूर्ण राज्य में क्रियान्वित की जानी थी और अद्यतन कार्य मार्च, 2002 तक सभी उप-जिलों में पूरा किया जाना था। एक नागरिक केन्द्रित भूमि अभिलेख व्यवस्था के विकास को पूर्ण सहायता देने का भी विनिश्चय किया गया था। इसने परियोजना के उन संघटकों के लिए भी राज्य सरकार की ओर से निवेश करना अनिवार्य बना दिया था, जो संघीय सरकार द्वारा निधिकृत नहीं की जा रही थी। इस राजनीतिक अधिदेश को सभी स्तरों पर प्रशासन के प्रयासों का पूर्ण समर्थन मिला था।

इसका परिणाम है एक पारदर्शी और प्रभावी भूमि अभिलेख वितरण व्यवस्था का क्रम विकास जो किसानों की असुरक्षा और चिंताओं का पूर्ण समाधान करता है और जो अब कर्नाटक के लगभग सभी उप-जिलों में परिचालन में है।

क्रियान्वयन का पद्धति विज्ञान

20 मिलियन अभिलेख के पैतृक आंकड़ों को अंकीय बनाने की प्रक्रिया लगभग दो वर्ष पहले प्रारम्भ हो गई थी। हस्तलिखित आंकड़ों को पकड़ने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे:

प्रभाग स्तर की कार्यशाला

भूमि अभिलेख के कंप्यूटरीकरण में सबसे महत्वपूर्ण स्वयं भूमि का अभिलेख होता है। यदि पैतृक आंकड़े ठीक से नहीं पकड़े गए, तब कंप्यूटरीकृत प्रक्रियाएं बिल्कुल व्यर्थ हो जाएंगी।

जबकि यहां एक वर्तमान आंकड़ा प्रविष्टि सॉफ्टवेयर था, जिसका प्रयोग भूमि अभिलेख के कंप्यूटरीकरण के पूर्वतम प्रयासों में किया था, वहां यह महसूस किया गया था कि कर्नाटक भू राजस्व अधिनियम, 1965 और भूमि अभिलेख को रखने का वास्तविक विस्तार से अध्ययन किया जाने की जरूरत है (यद्यपि कर्नाटक भू राजस्व अधिनियम, 1965 और उसके अधीन निर्मित नियमों में ऐसी भिन्नता नहीं थी), जिससे कि ऐसे सभी विपथन और भिन्नताओं को व्यापक रूप से पकड़ने के लिए आंकड़ा प्रविष्टि सॉफ्टवेयर व्यापक बनाया जा सके (यद्यपि वे अधिनियम के अनुसार नहीं थी) विभाग में यह स्पष्ट था कि भूमि अभिलेख, विधिक सम्पत्ति अभिलेख होने के नाते, वहां आशोधित करने अथवा आंकड़ा प्रविष्टि प्रक्रिया में कोई जानकारी बढ़ाने अथवा निकालने के लिए कोई स्व निर्णय नहीं था।

कर्नाटक राज्य को चार प्रभागों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक प्रभाग की भूमि का अभिलेख रखने की अपनी भिन्नताएं थीं। राजस्व विभाग से पदानुक्रम प्रतिनिधियों और आंकड़ा प्रविष्टि अभिकरणों की एक दिवसीय चार प्रभागीय कार्यशालाओं में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने ऐसी भिन्नताओं पर बहुत ही आवश्यक अंतर्दृष्टि डाली थी। ऐसी कार्यशालाओं की जानकारी को प्रलेखित किया गया था और अतिरिक्त जरूरतों को जानने के लिए आंकड़ा प्रविष्टि सॉफ्टवेयर को भूमि अभिलेख रखने में भिन्नताओं के कारण आशोधित किया गया था।

इनमें से कुछ भिन्नताओं की बिल्कुल जरूरत नहीं थी और इन्हें अंकीयकरण प्रक्रिया से पहले समुचित प्रशासनिक आदेश जारी करके हटा दिया गया था।

विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करना

चारों प्रभागीय कार्यशालाओं के बाद, गांव के अधिकारियों की ओर से पैतृक भूमि अभिलेख के आंकड़े तैयार करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। ये दिशा-निर्देश विस्तृत थे और इनमें आंकड़ा प्रविष्टि का प्रत्येक क्षेत्र आ जाता था। राज्य के प्रत्येक क्षेत्र से कई उदाहरण दिए गए थे जिससे उसको समझने में सुगमता हो सके।

तथापि, आंकड़ा प्रविष्टि का कार्य उससे अधिक चुनौतीपूर्ण था जितना कि प्रत्याशित था। निम्नलिखित कारकों से भूमि अभिलेख के आंकड़ों की आंकड़ा प्रविष्टि कठिन हो गई थी:-

- बड़ा भारी (20 मिलियन) भूमि अभिलेख बहुत से (9000) ग्राम अधिकारियों की ओर से रखा जा रहा था। इनमें (औसतन 10 वीं तक पढ़े लिखे) वयोवृद्ध ग्राम अधिकारी भी शामिल थे।
- परियोजना के प्रारम्भ में यह उदासीनता और दोषदर्शिता कि इतना भारी कार्य असंभव है। चित्र पहचान-पत्र के चुनाव की

परियोजना के पूर्वतम असफल प्रयासों ने ऐसा आशावाद में भी कुछ जोड़ा है।

- अत्यधिक कार्यभार से दबा जिला प्रशासन, बहुत अन्य आवश्यक कार्यों, जैसे कि सूखा की समस्या से निपटना, पीने के पानी की कमी की समस्या, अपने-अपने क्षेत्रों में अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरा, विभिन्न स्थानीय निकायों का चुनाव इत्यादि के साथ इस परियोजना की समस्याएं बढ़ीं।
- भूमि अभिलेख सीधे कंप्यूटर में भरा जा सका। गांव के अधिकारियों को पैतृक आंकड़ों के बहुत से क्षेत्रों में परिवर्तित करना और फिर से लिखना था। जारी किया गया दिशा-निर्देश भूमि-दल के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भी, बहुत अधिक सरल नहीं था और उसमें दिमाग व समय लगाना पड़ता था, जो बहुत बार नहीं हो पाता था।

जहां सरकार का विचार आंकड़ा प्रविष्ट का कार्य गांव के अधिकारियों से कराने का था, वहीं विभाग ने तेज़ी से यह महसूस किया था कि यह कार्य विभागीय रूप से करा पाना संभव नहीं था। इसलिए, यह कार्य बाहर से निजी आंकड़ा प्रविष्टि अभिकरणों से कराने का विनिश्चय किया गया था। यह कदम इसलिए भी उठाया गया था, क्योंकि इससे जिला स्तर पर भारी आंकड़ा प्रविष्टि की क्षमता सुगम हो गई होगी जो न केवल ऐसी ही अन्य परियोजना के लिए उपयोगी हुई थी, अपितु इससे पढ़े-लिखे किन्तु बेरोजगार युवकों को रोजगार मिला होगा।

राज्य स्तरीय कार्यशाला

यह अनुभव किया था कि ऐसे व्यापक एवं विस्तृत दिशा-निर्देशों के बावजूद भी, ये दिशा-निर्देश पूर्वतम अनुच्छेदों में वर्णित कारणों की वजह से परिस्रवण नहीं किए जा रहे थे। अत: यह विनिश्चत किया गया था कि सभी 53 सहायक आयुक्तों (एकसहायक आयुक्त 3-4 उप-जिलों के लिए विशिष्ट रूप से प्रभारी पर्यवेक्षण अधिकारी होता है), सभी 177 तहसीलदारों, (अधिकारी, उप-जिला, जिसे यथा तलुक कहा जाता है, का आसन्न प्रभारी) और सभी 177 नायब तहसीलदारों को राज्य स्तर की कार्यशाला में शिक्षित किया जाए। कुल मिलाकर, राज्य स्तर की ऐसी 4 पूर्ण दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की गई थी। प्रत्येक कार्यशाला में लगभग 100 अधिकारियों ने भाग लिया था। इन अधिकारियों ने तब गांव के 9000 अधिकारियों और 1000 राजस्व निरीक्षकों (गांव के अधिकारी की श्रेणी से एक श्रेणी ऊपर के अधिकारियों) को प्रशिक्षित किया था। आज भूमि, राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के सफल क्रियान्वयन में से एक है और भूमि अभिलेख के आंकड़ों में परिवर्तन करने की एक पूर्णतया चालू व्यवस्था है। इस परियोजना की कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं हैं:-

- सुस्पष्ट प्रमाणीकरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए और गैर-संबंध-विच्छेद की संकल्पना प्रवर्तित करने के लिए अंगुली छाप जीवसांख्यिकीय प्रमाणीकरण।
- राजस्व प्राधिकारियों द्वारा पारित क्षेत्र परिवर्तन आदेश का अवलोकन करने की सुविधा।
- लोक अंतरापृष्ठ के लिए प्रत्येक तालुक में भूमि अभिलेख केन्द्र।
- तालुक कार्यालय में टॉर्च स्क्रीन कियोस्क के अंतरापृष्ठ के लिए प्रावधान।
- प्रथम ब्राह्य परिवर्तन प्रक्रिया में प्रथम और उससे किसी पक्षपात को दूर करना।

भूमि के लाभ बहुत फलकित हैं इसने बढ़े हुए राजस्व के अतिरिक्त सुविधा के अनुसार, दोनों में महत्वपूर्ण वर्गों को लाभान्वित किया है और हानियां कम की हैं इस परियोजना की कुछ प्रसुविधाओं की सूची नीचे दी जाती है :-

प्रशासकगण

- भूमि अभिलेख दस्तावेजों को रखना और अद्यतन करना सरल/हाथ से लिखने में, भूमि अभिलेख का अद्यतन करने में कुछ मामलों में 1-2 वर्ष तक का विलम्ब हो जाता था। अब यह कार्य समय से होगा।
- किसी गांव में अथवा किसी उप-जिले में उपजी विभिन्न फसलों, जैसे बहुमूल्य भूमि अभिलेख आंकड़ों पर आधारित विकास कार्यक्रम के लिए सहायता, कृषि, उद्योग और नियोजन जैसे विभागों से किसी मौसम में उर्वरक और कीटनाशकों की अपेक्षा। एसे आंकड़े पूर्वतम व्यवस्था में केवल 2-3 वर्षों के बाद विभाग को उपलब्ध होने शुरू हुए थे। अब ये लगभग तत्काल मिल जाते हैं।
- भूराजस्व इत्यादि जैसे वार्षिक रिकॉर्ड की समय से और ठीक-ठीक तैयारी।
- सरकारी भूमि की निगरानी और उसका अतिक्रमण रोकना। निगरानी के अभाव ने अधिकारियों द्वारा अभिलेख को बदलने से राज्य सरकार को 25 बिलियन की हानि की रिपोर्ट की है।

न्यायिक प्रशासन

न्यायालय स्वामित्व, कब्जे और जोत से संबंधित विभिन्न सिविल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए विभिन्न न्यायालयों में भूमि अभिलेख के आंकड़ा आधार (डाटाबेस) का उपयोग कर सकेंगे।

वित्तीय संस्थान

- वित्तीय संस्थानों को कंप्यूटर से जुड़ी संयोजकता से बैंकों को अपने फार्म ऋण से संबंधित गतिविधियों के नियोजन में सहायता मिलेगी। हस्तलिखित व्यवस्था में उन्होंने 2 वर्ष पुराने आंकड़ों पर काम किया अथवा फार्म क्षेत्र की अपेक्षाओं का अनुमान लगाया।
- कंप्यूटर से जुड़ी संयोजकता से बैंकों को यह सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलेगी कि राजस्व प्रशासन उन किसानों के एसे भूमि अभिलेख पर बैंक के प्रभार का संकेत कर रहा है जिन्होंने फसल ऋण का लाभ उठाया हे। इससे धोखाधड़ी रोकने में सहायता मिलती है जिससे अनुपयोज्य आस्तियों के अवसर कम होते हैं।
- उन किसानों की भूमि पर प्रभार निर्मित करने को सुगम बनाता है जो फसल ऋण लेते हैं।

वह दिन वास्तव में स्वर्णिम होगा जब भारत के सभी राज्यों में भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण हो जाएगा। यह कार्य होने से आवास एवं इससे जुड़ी कई समस्याओं का समाधान नीतिगत तरीके से हो सकेगा व इस मार्ग में आने वाली कानूनी उलझनों से भी छुटकारा सभी को मिलेगा।

मानवता हेतु आवास

एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था को जो आवास क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है

रंजन कुमार,
प्रबंधक

आज अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों पर नजर डालें तो जो दृश्य संसार की निर्धनता का सामने आता है वह बहुत भयावह है। आज प्रति दिन प्रात: विश्व की एक तिहाई जनसंख्या घोर निर्धनता के चक्र में जी रही है और आनेवाले कई वर्षों तक भी अनुमान के अनुसार अधिकांश लोग इन परिस्थितियों में जन्मेंगे और मर जायेंगे।

गरीबी लोगों के जीवन को अनेक प्रकार से क्षति पहुंचाती है। इसमें गंदगी, दुर्गंधयुक्त और असुरक्षित जीवन शामिल है जो स्वास्थ्य, उनके बच्चों की शिक्षा, रोजगार की अनेक संभावनाओं को नष्ट करता है। अधिकांशत: लोग गरीबी में फंसे रहते हैं। जिससे उनकी आशाएं और अवसर धूमिल हो जाते हैं। उनकी आत्मा मर जाती है।

वर्ष 1976 में मानवता हेतु पर्यावास की स्थापना समूचे विश्व में गरीबों की आवास समस्या को हल करने के उद्देश्य से की गई थी। वर्तमान में यह संस्था विश्व भर के 92 देशों में काम कर रही हैं और अब तक इस संस्था ने गरीबों व प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त लोगों के लिए 225,000 घरों का निर्माण किया है।

मानवता हेतु आवास नामक यह एजेंसी अब इतनी गति से निर्माण कार्य कर रही है कि प्रत्येक 21 मिनट में एक परिवार नए सुन्दर आवास में बसने के लिए चला जाता है वह यह परिवार एक नई आशा, सम्मान व अवसरों से पूर्ण नया जीवन आरंभ करता है।

इस संस्था का विश्वास है कि सभी को एक सुन्दर घर में रहने का अधिकार है और आवास की जरूरत-मंद लोगों के सहयोग से हमारा लक्ष्य पूरे विश्व में सभी को आश्रय उपलब्ध कराना है।

विकासशील विश्व में, एक विशेष प्रकार के आवास के निर्माण हेतु अपेक्षित सभी सामग्री और मजदूरी के लिए औसत लागत केवल 1,235 पौंड आती है। यह राशि एक उत्तम लैपटॉप की कीमत के बराबर है और इस राशि से आप आज गंदे मकानों में बसे परिवारों को सदैव के लिए अच्छे मकानों में बसा सकते हैं।

संस्था मकान का निर्माण कहां करती है

यह संस्था विश्व भर के लगभग 200,000 से अधिक मकानों का निर्माण कर चुकी है। वर्तमान में एक मानवोचित घर का निर्माण प्रत्येक 24 मिनट में किया जा रहा है।

घरों का निर्माण कार्य निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जा रहा है:

- **अफ्रीका तथा मध्य पूर्व**
- **एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र**
- **यूरोप तथा मध्या एशिया**
- **लैटिन अमरीका तथा कैरेशियन देश**

अफ्रीका तथा मध्य पूर्व

यह एजेंसी अफ्रीका तथा मध्य पूर्व के 27 देशों में मकान निर्माण करती है और अभी तक 35,000 से अधिक परिवारों की सहायता यह संस्था कर चुकी है। इस क्षेत्र में यह अफ्रीका तथा मध्यपूर्व के देशों में लोगों के लिए अच्छे मकानों का निर्माण कर रही है।

इस एजेंसी का जन्म स्थान अफ्रीका है। प्रथम पर्यावास आवास का निर्माण अक्तूबर 1974 में किया गया था जब इसके संस्थापक मिलर्ड फुलर एवं उनकी पत्नी लिंडा ने कांगों गणराज्य (पूर्व में जायरे) के म्बान्डका नगर में कम कीमत के मकान निर्माण की परियोजना आरंभ की थी।

मानवता हेतु पर्यावास एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र के 28 देशों में आवास निर्माण करता है।

बेघरों के लिए कल्याण आवास का निर्माण कैसे होता है?

- **सादा**- मकानों का उचित आकार होता है, गृह स्वामी की आवश्यकतानुसार काफी बड़े होते हैं, किन्तु निर्माण लागत और रख-रखाव व्यय को न्यूनतम रखने की दृष्टि से काफी छोटे होते हैं।
- **सुन्दर**- उत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। प्रशिक्षित स्टाफ निर्माण कार्य की निगरानी करता है। और स्वयंसेवकों एवं संबंधित परिवारों को जानकारी देता है।
- **उपयुक्त**- निर्माण सामग्री स्थानीय तौर पर उपलब्ध की जाती है और मकान का डिजायन स्थानीय मौसम एवं संस्कृति के अनुरूप तैयार किया जाता है।
- **सस्ता**- स्वयं सेवकों और संबंधित परिवारों द्वारा लेबर, किफायती भवन-निर्माण विधियों, मकान का उचित आकार होने के कारण दुनिया भर के निम्न आय वर्ग के बेघर लोगों द्वारा ये आवास खरीदे जा सकते हैं।

मकानों का डिजायन

फिलीपींस के उष्णकटिबंधीय द्वीपों से लेकर पेरू के पर्वतों तक, मानवता के लिए पर्यावास स्थानीय जरूरतों के अनुसार मकानों का डिजायन तैयार करता है। स्थानीय आधार पर उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करके लागत घटाई जाती है। जिससे गृहस्वामियों को अपने घरों का रख-रखाव करना आसान होता है। उदाहरण के लिए:

- अनेक अफ्रीकी देशों में निर्माण कार्य में राख-निर्मित ईंटों का प्रयोग किया जाता है, सीमेंट या राख से निर्मित टाइलों से छतों का निर्माण किया जाता है।

- लैटिन अमेरीका में मकानों का निर्माण अक्सर कंकरीट ब्लॉकों या कच्ची ईंटों की दीवारों और धातु की छतों द्वारा किया जाता है।
- प्रशान्त क्षेत्र में मकानों का निर्माण लकड़ी के फ्रेमों और ऊंचे उठे पायों पर किया जाता है।

विशेष तथ्य

विभिन्न देशों में लोग अपने घरों का इस्तेमाल भिन्न-भिन्न प्रकार से करते हैं। मानवता के लिए पर्यावास के डिजायनों में सांस्कृतिक परम्पराओं की झलक मिलती है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

- अनेक अफ्रीकी देशों में परिवार घरों के बाहर खाना पकाते हैं - इन देशों में मकानों के डिजायन में घरों के अंदर की अपेक्षा बाहर स्थान की व्यवस्था की जाती है।
- फिलीपींस में धुलाई आदि का काम पारम्परिक रूप से बार निर्मित डयोढ़ी में किया जाता है अत: फिलीपीनो में घरों के डिजायन तैयार करने में इस परम्परा का ध्यान रखा जाता है।

मानवता के लिए पर्यावास द्वारा पर्यावरण की दिशा में पहल

मानवता के लिए पर्यावास कम संसाधन एवं कम ऊर्जा के साथ भवन निर्माण उपायों का प्रयोग करने के प्रति वचनबद्ध है। मानवता के लिए पर्यावास द्वारा पर्यावरण की दिशा में पल सम्बद्ध स्टाफ और स्वयंसेवकों को टिकाऊ निर्माण तकनीकों का प्रयोग सिखाती है जिससे प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है और गृह स्वामियों के लिए दीर्घकाल में मकान की लागत कम पड़ती है।

इस एजेंसी का पता इस प्रकार है-

हैबीटेट फार हयूमेनिटी ग्रेट ब्रिटेन
11, पारसंस स्ट्रीट, बेनबरी,
ओएक्स 165 एल डब्लयू, टेलीफोन - 01295 262 240

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के तकनीकी ग्रुप द्वारा प्रक्षेपित जनसंख्या परिदृश्य

केन्द्र सरकार द्वारा जुलाई 2000 में गठित राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के तकनीकी ग्रुप की ताजा रिपोर्ट में भारत की 20 वर्ष के बाद की आबादी का प्रक्षेपित जनसंख्या परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट के उल्लेखनीय परिणाम हैं-

- अगले 20 वर्षों में (सन् 2026 में) देश की जनसंख्या 140 करोड हो जाएगी। (इस प्रकार 2001 में 102.9 करोड़ की तुलना में जनसंख्या में 37.1 करोड़ (36 प्रतिशत) की वृद्धि 2026 तक हो जाएगी)
- देश में जनसंख्या का घनत्व 325 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी(2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 2026 में 426 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी होने का प्रक्षेपण।
- आगामी 25 वर्षों (2001-2026 के दौरान) में जनसंख्या में सर्वाधिक 102 प्रतिशत की वृद्धि दिल्ली में होगी, जबकि सबसे कम 15 प्रतिशत की वृद्धि तमिलनाडु में व 17 प्रतिशत की वृद्धि केरल में होने की सम्भावना।
- 2001-26 के दौरान देश में जनसंख्या में 36 प्रतिशत वृद्धि होगी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में यह वृद्धि 40-50 प्रतिशत की होगी, जबकि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पं. बंगाल, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश व कर्नाटक में जनसंख्या में 20-30 प्रतिशत वृद्धि प्रक्षेपित।
- 2001-26 दौरान 25 वर्षों की अवधि में देश की जनसंख्या में जो 37.1 करोड़ वृद्धि अपेक्षित है, उसकी 50 प्रतिशत वृद्धि (18.7 करोड़ की वृद्धि) अकेले सात राज्यों-बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल में होने का अनुमान ।
- 24.9 करोड़ जनसंख्या के साथ उत्तर प्रदेश के देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बने रहने का अनुमान।
- 2001-26 के बीच देश में लिंगानुपात 2001 के 933 स्त्रियां प्रति हजार पुरूष से घटकर 930 स्त्रियां प्रति हजार पुरूष रह जाने का अनुमान (दिल्ली में यह अनुपात सबसे कम 789 : 1000 अनुमानित)
- रुक्ष जन्मदर (Crude Birth Rate) 2001-05 के स्तर 23.2 प्रति हजार से घटकर 2021-26 में होने का अनुमान।
- शिशु मृत्यु दर वर्तमान 2001-05 के स्तर 61 प्रति हजार से घटाकर 2021-25 में 40 प्रति हजार होने का अनुमान।
- जन्मदर की गिरावट के चलते 2001-26 की अवधि में कुल जनसंख्या में 15 वर्ष के कम उम्र की जनसंख्या का अनुपात 35.4 प्रतिशत से घटकर 23.4 प्रतिशत रह जाने तथा कार्यशील जनसंख्या (Working Population-15-59 वर्ष आयु वर्ग) का अनुपात 6.9 प्रतिशत से बढ़कर 12.4 प्रतिशत हो जाने का अनुमान।
- 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या वर्तमान 7.1 करोड़ से बढ़कर 2026 में 17.3 करोड़ हो जाने का अनुमान।

प्रस्तुति: **विजय कुमार**, सहायक प्रबंधक

आस्ति गुणवत्ता का विपणन एवं अनुरक्षण

रानु गांगुली,
उप प्रबंधक

बाजार के मध्यवर्ती संस्थानों अर्थात् आवास वित्त संबंधी गतिविधियों में लगे बैंक, वित्तीय संस्थान और आवास वित्त कंपनियां व्यक्तिगत मकानों के अधिग्रहण के उद्देश्य से किसी उपयुक्त प्रतिभूति के लिए अपने धन का अभियोजन करते हैं।

वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के सफल वितरण के लिए संगठनों को उपयुक्त विपणन संकल्पनाएं प्रयोग करनी चाहिएं। विपणन तभी होता है, जब प्रबंधक ग्राहक को मूल्यवर्धित सेवा प्रदान करने के महत्व को समझाते हैं। प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रतिस्पर्धा में उनके प्रयास कंपनी को सिर्फ लाभ ही नहीं देते बल्कि यह भी देखना है कि आस्ति गुणवत्ता किसी भी प्रकार से कम न हो।

उपभोक्ता विपणन और परीक्षित रणनीतियों से संकेत लेते हुए आस्तियां निर्मित करके निवेश पर विपणन बढ़ाने के लिए नीचे दिए 6 उपाय कंपनी के आधार स्तर में योगदान करेंगे:

1. नियोजन: निवेश पर विपणन प्राप्ति लाभ के लिए प्रवेश की लागत एक जरूरी विपणन योजना होती है। योजना में कंपनी का मिशन और विक्रय तथा विपणन उद्देश्य शामिल किए जाने की जरूरत है। लक्ष्य के बाजारों में उसके दर्शकों की रूपरेखा तैयार करता है और उपयुक्त विपणन युक्तियां निर्धारित करता है। विपणन संबंधी युक्तियां, प्रचार एवं विपणन प्रोत्साहनों के अतिरिक्त व्यक्ति के विपणन माध्यम तथा विज्ञापन की किस्म होती है, जो संगठन का संदेश उसके बाजार तक बहुत अच्छी तरह पहुंचाएगी, विक्रय लक्ष्य प्राप्त करेंगी और नवीन जागरूकता बनाए रखेंगी। विपणन और विक्रय उद्देश्यों की अभिपुष्टि, रणनीति का नियोजन और तब विपणन उक्तियों के चुनाव के जैसी होती है। यह एक अग्रगामी चक्र है।

2. बाजार का निर्माण: प्रबंधकों के हाथों में बहुत से रणनीतिपरक उपायों में से एक किसी क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक एवं जनसाख्यिकीय विशेषताओं के आधार पर एक नया बाजार बनाना है। यह वर्तमान उत्पादों, ब्रांडों अथवो सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।

3. प्रतियोगियों की गतिविधि पर नजर: कभी-कभी कंपनियां अपने वाणिज्यिक अवसर इसलिए गवा बैठती हैं क्योंकि वे प्रतियोगी संस्थाओं पर नजर रखने में या उनकी वाणिज्यिक धारा/व्यवहार को समझने में विफल रहती हैं।

इसके समाधान के लिए, संस्थाओं को प्रतियोगी संस्थानों के बारे में पता रखना और उसके आधार पर उचित कदम उठाना जरूरी है। संगठनों को, बाजारों की कड़ी निगरानी रखने के लिए उचित व्यवस्था करनी होगी। ऐसी प्राप्त सूचना और उससे मिले आंकडों के आधार पर, कंपनियां उनसे जुड़े उद्योग जगत के आवश्यक समाचार का संग्रह कर सकती है। ऐस प्रतियोगी संस्थानों को नियमित रूप से जानकारी रख कर उस सूचना के आधार पर समुचित रूप से कृत्य करना वाणिज्यिक रूप से लाभदायक होगा।

4. अपनी डींगें हांकना: आपके संगठन की ओर से दी जा रही सेवाओं और उत्पादों का पर्याप्त प्रचार करना भी आवश्यक होता है। आपको ग्राहकों तक पहुंचने में सभी परम्परागत और गैर-परम्परागत प्रचार माध्यमों के काम में अभिनवकारी होना पड़ेगा। संदत्त विज्ञापन के अतिरिक्त, प्रगति रिपोर्ट और वैकल्पिक विपणन पद्धतियों का जोरदार प्रयोग ब्रांड बनाने के लिए विपणन बजट को उच्चतम सीमा तक बढ़ाता है और उत्पाद तथा सेवाओं के लिए बाजार विकसित करता है।

5. वेब विपणन: वेबसाइटें संप्रेषण का नया साधन हैं। ये पाठ और चित्रों कों प्रिंट की तरह मिला देती हैं किन्तु इसमें रेडियो की जन माध्यम तक पहुंचने की उपलब्ध ता भी और किसी व्यक्तिगत बैठक के पारस्परिक क्रिया तत्व भी होते हैं। इसके अतिरिक्त, पारस्परिक क्रिया, प्रापक की ओर से प्रारम्भ की गई होती है और बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित एवं तेजी से भेजी जा सकती हैं। ग्राहकों को वेबसाइट के बारे में अवसर मिलते ही सूचित किया जाना चाहिए।

निराशा छोड़-आशावादी बनें

आदित्य शर्मा,
उप प्रबंधक

निराशा अर्थात् डिप्रेशन को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है- जन्म-जात या परम्परागत और परिस्थिति जन्य। जन्म-जात कारण बालक को माता-पिता से मिलते हैं। यदि किसी बालक के मातापिता का जीवन निराशामय रहा है और गर्भावस्था के दौरान भीकिन्हीं कारणवश निराश या मायूस रहे थे तो नवजात शिशु डिप्रेशन की प्रवृत्ति लेकर जन्मता है। मानसिक स्थिति के कारणो में मुख्य कारण दो होते हैं- वे किसी कारण वश संतान प्राप्त करने के इच्छुक न हों, उनके पर्याप्त संतान हों और लड़कियां अधिक हों और वे इसे आशंका से पीड़ित हों कि इस बार भी कहीं लड़की न हो जाए आदि।

परिस्थिति जन्य के अनेक कारण होते हैं, जैसे परिवार की आर्थिक स्थिति संतोषजनक न हो और छोटी-छोटी जरूरतों के लिए बालक को मन मारकर रह जाना पड़ता है। अन्य कारण हैं - बालक को बहुत डांटा-डपटा जाना, स्कूल के अध्यापकों द्वारा यह कहना कि तू एकदम मूर्ख और निकम्मा है, तू कभी नहीं सुधरेगा आदि। इस प्रकार के वातावरण से गुजरने वाले बालक हीन-भावना से ग्रसित हो जाते हैं और अपनी सामर्थ्य के बारे में उनकी धारणा सर्वथा निषेधात्मक बन जाती है। कभी-कभी अपनी कुरूपता का एहसास भी बालक के मन में अत्यधिक संकोच एवं हीन भाव उत्पन्न कर देता है।

हीन भाव से ग्रसित व्यक्ति अपने को व्यर्थ, संसार को निस्सार समझने लगता है। इस मानसिकता द्वारा ग्रसित व्यक्ति प्राय: अपने जीवन का अंत, आत्महत्या करने की, घर परिवार से दूर जाकर अपनी अलग दुनिया बसाने की बातें भी सोचने लगता है। ऐसे व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ किसी मार्ग पर अग्रसर नहीं होते हैं। वे किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं। घर में भी चुपचाप एकान्त में पड़े रहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है जो बातबात में झल्ला पड़ते हैं, तुनक मिजाज हो जाते हैं। मन को संयत कर किसी भावी योजना पर विचार करना ऐसे व्यक्तियों के लि कठिन होता है। उन्हें संभवत: दुनिया और दुनिया की किसी वस्तु या दुनिया के किसी व्यक्ति के प्रति कोई रूचि नहीं रह जाती है। ऐसे व्यक्तियों को डिप्रेशन का शिकार कहा जाता है। ऐसी मानसिक अव्यवस्था के मुख्य लक्षण तीन हैं - बाह्य प्रेरणाओं के प्रति प्रतिक्रिया का या संवेदनशीलता का अभाव, किसी कार्य को आरम्भ करने में उत्साह का अभाव तथा अभावात्मक दृष्टिकोण। इन समस्त विकारों का सामूहिक प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति अपने को असमर्थ प्राय: समझने लगता है और वह सदैव यह सोचता रहता है कि यदि यह कार्य नहीं हो सका तो क्या होगा? वह किसी भी काम को समाने देखकर यही सोचता है कि यह मेरे वश की बात नहीं है। यदि कोई युवक इस भावना से ग्रसित हो और सोचता हो कि प्रतियोगिता में बैठना व्यर्थ है, क्योंकि हमारे समान असमर्थ व्यक्ति कभी सफल हो ही नहीं सकता है। यह एक प्रकार का मानसिक रोग है अत: अन्य रोगों की भांति इसका भी उपचार संभव है। इतना करना आवश्यक है कि ऐसा व्यक्ति जीवन के प्रति आशावादी बने, अपनी सोच को बदले और दुनिया में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा ले। अपनी मन:स्थिति को बदलना परमावश्यक है। आप प्रेरक कहानियां पढ़िए, महापुरूषों की जीवनियां पढ़िए, आप देखेंगे कि अनेक संत पाप-पंथ को पार करके आए हैं, कमल का जन्म पंक से होता है। कहावत है ''मन के हारे हार है, मन के जीते जीत''।

सुरक्षित पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना

श्री हर्ष भाटिया

मानवीय इतिहास के पृष्ठों पर एक ओर मानव के सामर्थ्य, श्रेष्ठता और उपलब्धियों की विस्तृत और विस्मयी गाथा दर्ज है तो दूसरी ओर असावधानियों और भीषण गलतियों का वह विवरण भी है जिसने मानवता को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया। आशाओं और आशंकाओं से गुजरते विश्व का अतीत भले ही भिन्न रहा हो किन्तु जहां तक भविष्य का प्रश्न उठता है वहां आज सम्पूर्ण मानवता के अस्तित्व के क्षितिज पर कुछ ऐसी चुनौतियां सामने दिखलाई पड़ती हैं जिनका कारण है स्वयं-मनुष्य।

विकास और विज्ञान के नए आयाम स्थापित करने की दौड़ में तेजी से भाग रहा मनुष्य अपने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की अनदेखी करता चला जा रहा है। प्राकृतिक असंतुलन की नई चुनौतियों का सामना करने को विवश आज की पीढ़ी के समक्ष एक ज्वलंत समस्या है सुरक्षित पीने योग्य पानी की।

पृथ्वी पर पानी का विस्तार

पानी जीवन का आधार है। पृथ्वी पर 70.2%, हमारे शरीर में 70% और हमारे मस्तिष्क में तो 75% जल है। न केवल सम्पूर्ण भू-मण्डल पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारियों के लिए पानी एक आधारभूत आवश्यकता है बल्कि धुलाई, सफाई, कृषि, मानव एवं पशु उपभोग, उद्योग, विद्युत उत्पादन, जल परिवहन आदि के लिए भी इसकी परम आवश्यकता है। यू.एस. जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार दुनिया में कुल पानी 326000000 क्यूबिक मील है जिसका 97.24% समुद्र, 2.14% बर्फ ग्लेशियर, 0.61%, भूजल, 0.009% शुद्ध जल झील, 0.008% अंतदेर्शीय सागर, 0.005% जमीनी नमी, 0.001% वातवरण व 0.0001% नदी जल है। दुनिया में केवल 2.50% पानी ही मीठा है बाकी खारा। प्रदूषण के चलते केवल 1% पानी पीने और सिंचाई योग्य रह जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व के कुल जल का मात्र 0.0075% हिस्सा ही मानव के इस्तेमाल योग्य है।

सुरक्षित पीने योग्य पानी का अर्थ

विश्व में बड़ी संख्या में लोग पीने के लिए नदी, झरने व कुओं का पानी प्रयोग करते हैं। अनेक लोग हैड पम्प, तल से सप्लाई या बोरिंग के पानी को पीने के लिए शुद्ध मानते हैं। आज करोड़ों लोगों को यह जानकारी देने की आवश्यकता है कि पीने वाला पानी और सुरक्षित पीने योग्य पानी में बहुत बड़ा अन्तर है। पानी में डायरिया, दस्त, पेचिश, आन्त्र शोथ, तपेदिक, हैजा, ट्रेकोमा (आंख का रोग), चर्म रोग, मलेरिया जैसे रोगों के जीवाणुओं के रहने की संभावना रहती है। भूमिगत जल में फलोराइड, आर्सेनिक या नाइट्रेट जैसे रसायनों की मात्रा मिल सकती है। ऐसे में यह परम आवश्यक है कि पानी, जो मनुष्य पी रहा है, वह सभी रोगाणुओं व हानिकारक रसायनों से मुक्त हो। ऐसा पानी ही शुद्ध व सुरक्षित कहा जा सकता है।

पीने योग्य पानी की समस्या के कारण

भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन, वनों की अन्धाधुन्ध कटाई, हरितगृह गैसों का प्रभाव तथा भयावह बनती प्रदूषण की समस्या के फलस्वरूप विश्व का पारिस्थितकीय सन्तुलन असन्तुलित हो रहा है। बढ़ती आबादी, औद्योगीकरण, नगरीकरण, सिंचित भूमि में वृद्धि, पानी का दुरूपयोग, जल प्रदूषण एवं स्वच्छ जल के सिकुड़ते स्रोत आदि के कारण पीने की समस्या बहुत बड़ी हो रही है। ताजे पानी का 70% कृषि में प्रयोग किया जाता है। विकासशील देशों में उत्तम सिंचाई प्रणालियां इस्तेमाल न होने से 60% तक पानी वाष्पीकरण, नदियों में बहने या भूमिगत होने के कारण खराब हो जाता है। 1960 की तुलना में कृषि के लिए जल आहरण में 60% बढ़ोतरी हुई है। पिछली शताब्दी दर का दोगुना है। विकासशील देशों में 90% तक मल व 70% तक औद्योगिक कचरा बिना किसी ट्रीटमेंट या परिष्करण के छोड़ दिया जाता है। ताजे पानी का या पर्यावरणीय स्तर अत्यधिक गिरा है। विश्व के आधे जलीय स्थान खत्म हो चुके हैं विश्व की ताजे पानी से संबंद्ध 10000 प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं।

सुरक्षित पीने योग्य पानी की समस्या का गंभीर व घातक स्वरूप

सुरक्षित पीने योग्य पानी पर मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक उतना ही जितना स्वच्छ हवा पर है। इसके बावजूद विश्व की अधिकांश जनसंख्या, 6 अरब लोगों, को सुरक्षित पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं है। इनमें विश्व के 31 देशों में बसे 2.8 अरब लोग शामिल है, जो दीर्घ स्थायी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। एक पीढ़ी के उपरान्त विश्व की अनुमानित जनसंख्या, सन् 2025 तक 8 अरब हो जायेगी जबकि पानी की मात्रा वही रहेगी। ऐसे में अफ्रीका व दक्षिण ऐशियाई देशों में यह समस्या और गंभीर हो जायेगी। इस समस्या के घातक स्वरूप का अंदाजा, संयुक्त राष्ट्र संघ, डब्लू.एच.ओ. व अन्य एजेसिंयों के आंकड़ों द्वारा निम्न विवरण से लगाया जा सकता है।

- विश्व में प्रतिवर्ष विकासशील देशों में 22 लाख लोग प्रदूषित जल जनित बीमारियों के कारण जान गंवाते हैं।

- 60000 बच्चे प्रतिदिन केवल उन बीमारियों से जान गंवाते हैं जिन्हें सुरक्षित पीने योग्य पानी उपलब्ध रहने से बचाया जा सकता था।
- 25 करोड़ लोग प्रतिवर्ष जलजनित बीमारियों से प्रभावित होते हैं।
- आज की तारीख में दूषित पानी से मरने वालों की संख्या कैंसर, एड्स, युद्ध या दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या से अधिक है।
- अफ्रीका व एशिया में एक औरत औसतन 6 कि.मी. चलती है पानी लाने के लिए।
- अफ्रीका व एशिया में औरतें पानी का जो वजन सिर पर ढोती हैं वह हवाई यात्रा के दौरान सामान ले जाने की अधिकतम सीमा अर्थात 20 किलो के बराबर होता है।
- यू.के. ब्रिटेन में एक व्यक्ति औसतन 135 लीटर पानी प्रतिदिन प्रयोग करता है जबकि विकासशील देशों में यह औसत 10 लीटर प्रतिदिन है।
- तीसरे विश्व के देशों में एक व्यक्ति जितने पानी में सफाई, धुलाई, खाना पकाने व पीने के लिये प्रयोग करता है, उतना पानी शौचालय के एक बार फ्लश में इस्तेमाल हो जाता है।
- चीन, इंडोनेशिया व भारत में जितने लोग एड्स से मारे जाते रहे है उससे दोगुने डायरिया से खत्म हो रहे हैं
- दुनिया भर के अस्पतालों में किसी भी समय आधे बिस्तर जल जनित रोगों से संक्रमित व्यक्तियों से घिरे होते हैं।
- द्वितीय विश्व युद्ध से अब तक कुल जितने लोगों की मृत्यु हुई उससे कहीं ज्यादा लड़कियों की मृत्यु पिछले 10 वर्षों में डायरिया से हुई है।

विश्व समुदाय द्वारा समस्या के समाधान की पहल

सन 2000 में विश्व के 147 नेताओं द्वारा संयुक्त सहस्त्राब्दिक सम्मेलन में सहस्त्राब्दिक घोषणा के अन्तर्गत सहस्त्राब्दिक विकास लक्ष्य निर्धारित किये गये। इनमें से एक लक्ष्य है-सन 2015 तक सुरक्षित पीने योग्य पानी से वंचित विश्व के लोगों के अनुपात को घटा कर आधा करना। सन 2002 में जोनेसबर्ग मे दीर्घस्थायी विकास पर हुये विश्व सम्मेलन में भी इस लक्ष्य को दोहराया गया तथा मूलभूत सफाई के लक्ष्य को भी शामिल किया गया और पीने योग्य पानी से संबद्ध नई नीतियां बनाई गई हैं। प्राथमिकताओं को बदला जा रहा है तथा नये अनुसंधान व अध्ययन किये जा रहे हैं।

सुरक्षित पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के उपाय

आज यह जरूरी है कि लोगों को न केवल पीने का पानी उपलब्ध कराया जाये, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाये कि पानी सुरक्षित हो, स्वास्थ्य हेतु अनुकूल हो व पेय हो। इस दिशा में निम्नलिखित उपाय व प्रयास किये जा सकते हैं:-

1. लोगों को शिक्षित करना- जनसाधारण चाहे शहरी हो या ग्रामीण, उन को सुरक्षित पेयजल की समस्या व भविष्य से इसके गंभीर परिणामों के प्रति सचेत व जागरूक करना बहुत जरूरी है। सुरक्षित पानी न इस्तेमाल करने के दुष्परिणामों की जानकारी दी जानी चाहिये। ग्रामीणों को हाथ साफ करने, शौच संबंधी स्वच्छता रखने तथा पानी को स्वच्छ व सुरक्षित बर्तनों में रखने संबंधी जानकारी बहुत जरूरी है।

2. सुरक्षित पीने योग्य पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि पानी के नए स्रोत ढूंढे जायें। समुद्री पानी से ताजा पानी परिवर्तित करने की तकनीक कई देशों में इस्तेमाल की जाती रही है। अकेले सउदी अरब में इस समय 15 ऐसी इकाइयां कार्यरत हैं। हाल ही में रिवर्स आस्मोसिस पर आधारित, डीसेलेनाइजेशन की नई तकनीक विकसित हुई हैं जिसमें उर्जा का कम प्रयोग होता है। इसके माध्यम से शुष्क प्रदेशों व तटवर्ती बड़ी बस्तियों में सुरक्षित पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जा सकता है।

3. जल का पुनर्वितरण- अधिक जल पीने वाले क्षेत्रों से कम जल वाले क्षेत्रों में पानी पहुंचाया जा सकता है। रेनवाटर हारवेस्टिंग (वर्षाजल संरक्षण) भी कई देशों में सफलता पूर्वक किया जा रहा है।

4. पानी का पुर्नोपयोग या रिसाईक्लिंग भी एक अच्छा उपाय है। पहाड़ों पर टेरेस फार्मिंग द्वारा खेती तथा प्रदूषित जल का रीडबैंड पद्धति द्वारा पुर्नोपयोग पर्यावरण के अनुकूल उपाय है।

5. टैंकों, पाइपलाइनों के छिद्रों व रिसाव को ठीक कर पुराने, टूटे पाइपों, नलों व उपकरणों को सुधार कर या बदल कर न केवल पानी की बड़ी मात्रा को बेकार जाने से रोका जा सकता है बल्कि इसको प्रदूषित या असुरक्षित होने से भी बचाया जा सकता है।

6. पानी की मांग को कम करना - विश्व में पानी का 80% हिस्सा और विकासशील देशों मे 86% हिस्सा सिंचाई में खर्च हो जाता है। विकसित देशों में जल का 60%, प्रयोग उद्योगों द्वारा होता है। चूँकि सिंचाई में भूजल का भी बड़ा भाग इस्तेमाल किया जाता है, उसका प्रभाव पेयजल की पूर्ति पर भी पड़ता है। यह जरूरी है कि खेती व उद्योगों में उन्नत व नवीन प्रणालियां प्रयोग की जायें जिससे पानी के प्रयोग को कम किया जा सके। शुष्क क्षेत्रों में गेहूं व चावल के स्थान पर अन्य फसलों की पैदावार की जाये।

7. भूमिगत जल का विवेक पूर्ण उपयोग किया जाये। इसके बढ़ते शोषण को नियन्त्रित करने की जरूरत है वहीं दूसरी ओर भूजल के नवीनीकरण के लिये वनों तथा संबद्ध प्राकृतिक तत्वों के रक्षण की भी आवश्यकता है। जल के पुनर्भरण के लिये तालाबों, सहायक गड्ढ़ों तथा खेत के चारों ओर गहरी नालियों को खोदने की आवश्यकता है।

8. शुद्ध एवं सुरक्षित पानी हेतु उच्च तकनीक का प्रयोग - अमरीका के नासा जान्सन स्पेस सेन्टर द्वारा विकसित पद्धति से चारकोल व पराबैंगनी प्रकाश का प्रयोग कर पानी को जीवाणुओं व रोगाणुओं से मुक्त किया जाता है। इसी प्रकार जापानी वैज्ञानिको द्वारा विकसित पद्धति में टाइटेनियम डाईआक्साइड व पराबैंगनी प्रकाश के माध्यम से जल का शुद्धीकरण किया जाता है तथा बैक्टीरिया, फंगस व वायरस को अल्प समय में ही नष्ट कर दिया जाता है। इसी प्रकाश से इलैक्ट्रोकैमिकल एक्टीवेशन (ECA) व रिवर्स आस्मासिस के माध्यम से लघु स्तर पर सोलर डिसइनफैक्शन पद्धति (SODIS) का कई देशों में सफल प्रयोग किया जा रहा है।

भारत में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान प्रयास

सरकार के पांच-छ: विभाग जल संसाधन बचाने के लिये प्रयासरत हैं। केन्द्र सरकार ने भी सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बड़ी राशि चिह्नित की है। पेयजल वितरण विभाग (DDWS) ने दसवीं योजना (2002-07) के तहत 404 अरब रू. की राशि मांगी है जबकि पिछली पंचवर्षीय योजना में यह 167 अरब थी। इसमें से 28240 करोड़ रू. का प्रावधान शहरी क्षेत्र में सुरक्षित जल वितरण के लिये है। दसवीं योजना में लक्ष्यों को चिन्हित किया गया है तथा अनेक उपायों पर बल दिया गया है। इनमें पुराने क्षतिग्रस्त पाइपों की मरम्मत, पानी के रिसाव की जिम्मेदारी तय करना व जुर्माना वसूलना, पेयजल का इस्तेमाल वाहन साफ करने, वर्षाजल संरक्षण को प्रोत्साहन देना, शहरी क्षेत्रों में भूजल के शोषण पर

नियंत्रण रखना, केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा कृत्रिम तरीके से अनुकूल परिस्थितियों में भूजल का नवीनीकरण करना, कम जल प्रयोग वाली शौच प्रणालियों का उपयोग, पानी के व्यर्थ प्रयोग की रोकथाम हेतु मूल्यभार लगाना शामिल है। इसके अलावा नये प्रोजेक्ट हेतु पब्लिक-प्राईवेट पार्टनरशिप का प्रावधान, निजी क्षेत्र का उपयुक्त प्रवेश, केन्द्रीय व राज्य स्तरीय विशेषज्ञों के कौशल का उपयोग, म्युनिसिपल कार्पोरेशन के रिकार्डों का कम्प्यूट्रीकरण तथा जल बोर्डों के संसाधनों को मजबूती प्रदान करने की बात भी कही गई है।

भारत में वर्तमान में गैर सरकारी संगठनों (NGO) द्वारा भी अच्छा कार्य किया जा रहा है। विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित अनेक कार्यक्रम सफलता पूर्वक कार्य कर रहे हैं मध्य प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा स्थापित पेयजल मिशन के तहत सराहनीय कार्य किया गया है। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त तमिलनाडू कृषि विकास प्रोजेक्ट के माध्यम से यहां 12500 हैंडपम्प लगाये गये तथा लगाने से पहले सर्वेदल द्वारा स्थान व मिट्टी की जांच की गई। पंचायत की निगरानी में महिला स्वयंसेविकाओं को इनकी देखभाल की जिम्मेदारी दी गई व प्रशिक्षित किया गया। इस प्रोजेक्ट से 35 लाख लोग लाभान्वित हुये। इसी प्रकार विश्व बैंक की मदद से उत्तर प्रदेश में 'स्वजल' प्रोजेक्ट भी सफल हुआ है। भारत में पहली बार प्रोजेक्ट से लाभान्वित समुदाय का प्रोजेक्ट की कुल लागत का दसवां हिस्सा योगदान दिया गया। गुजरात में गैर सरकारी संगठन 'सेवा' के सहयोग से महिलाओं द्वारा विभिन्न जल संरक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए। तथा ग्रामजल निधियां भी बनाई गई हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के गांव में रामकिशन मिशन के सहयोग से व ग्रामीणों की सहायता से पेयजल हेतु सफल कार्यक्रम को रूप दिया गया। गुजरात के तताना नामक गांव में गुजरात जल वितरण व सीवरेज बोर्ड के आर्थिक सहयोग से एक स्वयं सेवा संस्था की मदद से अनेक परिवारों ने जलसंरक्षण के अति सफल प्रयास किये है। भारत में सोपार तथा भारतीय संस्था बाल विकास की मदद से अनेक पेयजल प्रोजेक्ट चलाये गये है। निजी क्षेत्र को भी कई क्षेत्रों में शामिल किया गया है। फ्रांस की एक कम्पनी, कम्पनी जनरल दी अवस को कर्नाटक के हुबली, धारवाड़, गुलबर्गा तथा बेलगांव इलाकों में सातों दिन व 24 घंटे पानी वितरण के लिये अनुबंध मिला है। थेम्सवाटर नामक कम्पनी का बैंगलोर में जल रिसाव रोकने हेतु अनुबंध प्राप्त हुआ है। दक्षिणी दिल्ली की सातों दिन व 24 घंटे जलापूर्ति हेतु सोनिया विहार संयंत्र लगाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संस्था, पापूलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल, एन. आई.सी.डी. व दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन ने संयुक्त रूप सेफ वाटर सिस्टम नामक प्रणाली का विकास किया है जिसे दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में प्रयोग कर परीक्षण किया गया है। इससे पीने का पानी सुरक्षित हो जाता है व डायरिया के केस 50% तक कम हो जाते हैं। भारतीय गैर सरकारी संगठन 'ग्रामालय' ने शहरी झुग्गी बस्तियों में पेयजल हेतु सराहनीय कार्य किया है।

सुरक्षित पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने हेतु कुछ सुझाव

सुरक्षित पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय अभियान चलाने की प्रचार माध्यमों, मीडिया के सहयोग, स्कूली पाठ्यक्रमों, सरकारी प्रतिष्ठानों की सहभागिता, सरकारी कर्मचारियों की मदद से, सुदूर ग्रामीण इलाकों से लेकर झुग्गी बस्तियों व शहरी गरीबों को सुरक्षित पेय जल की महता तथा संरक्षण के उपाय बताने की आज आवश्यकता है। ऐसे क्षेत्र जहां सुरक्षित जल बहुतायत में है, वहां की जनता को इसके दुरूपयोग से रोकना होगा। युवा छात्रों को छुट्टियों में अपने-अपने जिले के गांवों व गंदी बस्तियों में जाकर जल जागरूकता अभियान चलाने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। बेराजगार युवकों को अंशकालिक तौर पर इस अभियान में शामिल कर ग्रामीणों की मदद के लिये प्रोत्साहन राशि भी दी जा सकती है। सार्वजनिक एवं निजी संस्थायें सुदूर गांवों, झुग्गी बस्तियों या प्रभावित अंचलों में शुद्ध जल हेतु हैंडपम्प व सामुदायिक नलों को गोद ले सकते हैं अथवा संबद्ध कार्यक्रमों व प्रयासों को प्रायोजित कर सकते हैं। बैंकों द्वारा सूक्ष्म वित्त के माध्यम से आसान ऋण दिये जा सकते हैं तथा गंदी बस्तियों में जल शुद्धिकरण उपकरणों को वित्त पोषित किया जा सकता है। स्कूल, कालेजों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, सरकारी कार्यालयों, होटलों, सामाजिक व धार्मिक स्थलों पर पीने योग्य पानी को शुद्धिकरण उपकरणों को लगा कर ही उपलब्ध कराना चाहिये। पूर्ण रूप से सुरक्षित व स्वास्थ्यवर्धक जल टेंकरों को सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं द्वारा सेवार्थ, ग्रामीण स्कुलों, झुग्गी बस्तियों तथा गरीब इलाकों में भेजा जा सकता है। आज बड़ी राशि की सरकारी सब्सिडी को केवल जरूरत मंद जनता पर केन्द्रित करना होगा। संपन्न इलाकों में पानी की कीमत कैसे तय की जाय, जल प्रबंधन के लिये निवेश कैसे जुटाया जाय, दीर्घस्थायी नीति कैसी हो, सुरक्षित पेयजल वितरण ढांचा सुचारू और मजबूत कैसे बने, ग्रामीण अंचलों, अभावग्रस्त क्षेत्रों तथा झुग्गी बस्तियों को सुरक्षित पेयजल वितरण प्रणाली से कैसे जोड़े, इसके लिये सरकार, यहां के वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों एवं नागरिकों को आगे आना होगा व सक्रिय भूमिका निभानी होगी। जल प्रबंधन में जनता विशेषकर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। राजनैतिक दलों को दृढ़ इच्छाशक्ति से सकरात्मक रवैया अपनाना होगा। मुफ्त बिजली व मुफ्त पानी जैसी योजनाओं को त्यागना होगा। जल-प्रदूषण जैसी विकराल समस्याओं से सख्ती से निपटना होगा। भ्रष्टाचार पर गंभीरता से अंकुश लगाना होगा। इस दिशा में अन्य देशों में हो रहे सफल प्रयोगों व प्रयासों से संबद्ध जानकारी का आदान-प्रदान करना भी जरूरी है।

निष्कर्ष

सुरक्षित पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने हेतु आज तीव्रतम प्रयासों व बहुत बड़ी धन राशि की आवश्यकता है लेकिन ऐसा न कर पाने की जो कीमत देश व समाज को चुकानी पड़ रही है और आगे भी पड़ेगी, वह इससे कहीं ज्यादा व अकल्पनीय है। 'नीला सोना' बन चुके इस प्राकृतिक संसाधन का विवेक पूर्ण प्रयोग नहीं हुआ तो भावी पीढ़िया कभी माफ नहीं करेंगी। जिस देश में नदियों के जल का आचमन लिया जाता राह हो, अतिथि का स्वागत सर्वप्रथम शीतल जल से होता हो, पथिकों के लिये निशुल्क प्याउ व कूप हों, ऐसे सरोवरों, कुँओं, बावड़ियों व झरनों वाले देश, भारत में सुरक्षित पेय जल की समस्या का निदान स्वयं देशवासियों को खोजना ही श्रेयष्कर भी है, आवश्यक भी है व अनिवार्य भी है। पीने का पानी न तो बंटवारे की वस्तु है, न संघर्ष और समझोते का राजनैतिक मुद्दा और न ही व्यवसाय व लाभार्जन का उत्पाद। यह नैतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़ा सूत्र है। पीने योग्य पानी एक आवश्यकता है जीवन की, एक आधार है मानवता का उस मानवता का, जिसपर हम आज तक गर्व करते आए हैं। रहीम के शब्दों में:-

रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून।
पानी गये न उबरे, मोती, मानुष, चून।।

काले धन को वैध बनाने से रोकने से संबंधित अधिनियम, 2002 और ''अपने ग्राहक को जानो'' संबंधी आवास वित्त कंपनियों के लिए दिशा-निर्देश

एम आत्मा राम,
क्षेत्रीय प्रबंधक

काले धन को वैध बनाने से रोकने से संबंधित अधिनियम, 2002 उस विधिक कार्यढांचे का कोर है जो भारत मे काले धन को वैध बनाने का विरोध करने के लिए स्थापित किया है। काले धन को वैध बनाने से रोकने संबंधी अधिनियम, 2002 और उसके अधीन अधिसूचित नियम 1 जुलाई, 2005 से लागू हुए थे। वित्तीय आसूचना ईकाई-भारत (एफआईयू-इंड) के निदेशक और निदेशक (प्रवर्त्तन) को अधिनियम के उपबंध क्रियान्वित करने के लिए अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन अनन्य रूप से समवर्ती शक्तियां प्रदान की गई हैं। काले धन को वैध बनाने से रोकने संबंधी अधिनियम, 2002 और उसके अधीन अधिसूचित नियम ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने के लिए बैंककारी कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यवर्तियों पर अभिलेख रखने और वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-इंड) को जानकारी देने के लिए बाध्यता अधिरोपित करते हैं। काले धन को वैध बनाने से रोकने संबंधी अधिनियम, 2002 काले धन को वैध बनाने के अपराध को परिभाषित करता है और अपराध प्रतिफल को अनुपलभय बनाने, पकड़ने और जब्त करने की व्यवस्था करता है।

काले धन को वैध बनाना क्या है?

काले धन को वैध बनाने का कार्य अवैध रूप से अधिग्रहीत नकदी को वित्तीय प्रणालियों के माध्यम से चलता है जिससे कि यह वैध रूप से अधिग्रहीत प्रतीत होता है। काले धन को वैध बनाने की तीन अवस्थाएं होती हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है तथा जिनका सहारा काले धन को वैध बनाने वाले वे लोग लेते हैं, जो सामान्य व्यापार के कारोबार में अनजाने ही किसी संभाव्य अपराध के भागी बन जाते हैं।

क. **रखना** - अवैध कार्य से व्युत्पन्न नकदी प्रतिफल का वास्तविक निपटारा;

ख. **दबाना** - धन के स्रोत को छिपाने के लिए तैयार किए गए वित्तीय लेनदेनों के जटिल दबाव बनाकर अपने स्रोत से अवैध प्रतिफल को अलग करना; और

ग. **संघटन** - आपराधिक रूप से व्युत्पन्न धन के लिए प्रत्यक्ष वैधता का प्रभाव दर्शाना।

यदि दबाने की प्रक्रिया सफल हो गई है, तब संघटन योजना वैध बनाए गए काले धन को वापस अर्थव्यस्था में इस ढंग से रखती है कि वे सामान्य व्यापार निधियां प्रतीत होने वाली वित्तीय प्रणाली में पुन: प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए वित्तीय संस्थानों को उस समय प्राधिकृत अधिकारी के सामने यह प्रकट करने का एक सांविधिक दायित्व सौंपा गया है कि जब यह जानते हुए अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, उस संबंध में प्रयोग किया जाना था अथवा किया जाना है, ऐसा इस संस्थान के जरिए हो रहा है। ऐसे प्रकटीकरण कानून से संरक्षित होते हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति प्रकट की जाने वाली जानकारी को निर्भय होकर प्रकट कर सके।

अपने ग्राहक को जानने से संबंधित दिशा-निर्देश आवास वित कंपनियों के लिए आतंकवाद के वित पोषण का विरोध करने और काले धन को वैध बनाने से रोकने से संबंधित विरोधी मानकों पर वितीय कार्रवाई संबंधी कार्यबल की ओर से की गई सिफारिों के आधार पर तैयार किए गए हैं। ये मानक काले धन को वैध बनाने से रोकने और विनियामक प्राधिकारियों द्वारा आतंकवाद की वितपोषण विरोधी नीतियां तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आधार बन गए हैं। देश में वितीय संस्थानों/बैंकों द्वारा इन मानकों का अनुपालन अंतर्राष्ट्रीय वितीय संबंधों के लिए अनिवार्य हो गया है।

काले धन को वैध बनाने से रोकने संबंधी अधिनियम, 2002 पर बार-बार पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न निम्नलिखित हैं

काले धन को वैध बनाना (मनी लांडरिंग) अपराध क्या है?

जो भी कोई व्यक्ति अपराध के प्रतिफल से जुड़ी किसी प्रक्रिया अथवा गतिविधि से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त रहने का प्रयत्न करता है अथवा जानबूझ कर सहायता करता है अथवा जानबूझ कर कोई पक्षकार है अथवा वास्तविक रूप से संबंद्ध है और इसे यथा बेदाग दर्शा रहा है, ऐसा व्यक्ति काले धन को वैध बनाने (मनी लांडरिंग) के अपराध का दोषी होगा।

काले धन को वैध बनाने से रोकने से संबंधित अधिनियम, 2002 की धारा-12 के अधीन बैंककारी कंपनियों, वितीय संस्थानो प्रतिभूतियों के बाजार के मध्यवर्ती की क्या बाध्यताएं हैं?

धारा-12 - काले धन को वैध बनाने से रोकने संबंधी अधिनियम, 2002 की धारा-12 बैंककारी कंपनियों, वितीय संस्थानों और मध्यवर्तियों के लिए निम्नलिखित बाध्यताएं निर्धारित करती हैं-

''12.(1) प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वितीय संस्थान और मध्यवर्ती-

क. सभी लेनदेन, जिसकी प्रकृति एवं मूल्य विहित होगा और क्या ऐसे लेनदेन में कोई एकल लेनदेन अथवा लेनदेनों की एक श्रंखला एकदूसरे से जुड़ी हुई शामिल है और जहां लेनदेनों की ऐसी श्रंखला एक महीने के भीतर बन जाती है, का अभिलेख रखेगें।

ख. खंड (क) मे निर्दिष्ट लेनदेन की जानकारी इतने समय,

जितना कि विहित किया जाए के भीतर निदेशक को देगें।

ग. अपने सभी ग्राहकों की पहचान का अभिलेख यथा विहित ढंग से रखेगें और सत्यापित करेगें।

बशर्ते कि जहां, यथास्थिति, किसी बैंककारी कंपनी अथवा वितीय संस्थान अथवा मध्यवर्ती के प्रधान अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण होता है कि किसी एकल लेनदेन अथवा एक दूसरे से जुड़े लेनदेनों की श्रृंखला का मूल्यांकन विहित मूल्य से कम किया गया है। जिससे कि इस धारा के उपबंध विफल हों, वहां ऐसा अधिकारी ऐसे लेनदेनों के संबंध में जानकारी विहित समय के भीतर निदेशक को देगा।

2. उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिलेख यथास्थिति बैंककारी कंपनी, वितीय संस्थान अथवा मध्यवर्ती और ग्राहक के बीच लेनदेन समाप्त हो जाने की तारीख से 10 वर्षों की एक अवधि के लिए रखा जाएगा''।

वितीय संस्थान क्या है?

काले धन को वैध बनाने से रोकने संबंधी अधिनियम, 2002 के अधीन वितीय संस्थान से अर्थ ऐसे संस्थान का है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934(1934 का 2) की धारा 45-1 के खंड (ग) में परिभाषित किया गया है। और उसमें चिट-फंड कंपनी, एक सहकारी बैंक, एक आवास वित संस्थान, और एक गैर-बैंककारी वितीय कंपनी शामिल होती है। वितीय संस्थानों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45-1 में यथा परिभाषित वितीय संस्थान/भारतीय रिजर्व बैंक 8 अखिल भारतीय संस्थानों का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है। ये संस्थान-निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित निगम, आधारिक विकास वित निगम लि., (आईडीएफसी लि.) आईआईबीआई लि और टीएफसीआई लि.।
2. बीमा कंपनियां,
3. किराया-क्रय कंपनियां,
4. चिट फंड अधिनियम में यथा परिभाषित चिट फंड कंपनियां
5. सहकारी बैंक,
6. राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम में यथा परिभाषित आवास वित संस्थान, जैसे कि आवास विकास वित निगम,
7. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45-1 में यथा परिभाषित गैर-बैंककारी वितीय कंपनियां, जैसे कि निजी वित कंपनियां, मोटर एवं जनरल, किराया-क्रय कंपनियां, पटटा कंपनियां, निवेश कंपनियां, इत्यादि।

काले धन को वैध बनाने से रोकने संबंधी अधिनियम, 2002 के अधीन अभिलेख के लिए क्या-क्या बाध्यताएं?

काले धन को वैध बनाने से रोकने संबंधी 2002 के अधिनियम की धारा-12 के अनुसार, प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वितीय संस्थान और मध्यवर्ती सभी लेनदेनों का एक अभिलेख रखेगें, जिनकी प्रकृति एवं मूल्य विहित होगा और क्या ऐसे लेनदेनों में कोई एकल लेनदेन अथवा अनिवार्य रूप से एक दूसरे से जुड़े लेनदेनों की कोई श्रृंखला शामिल है और लेनदेनों की ऐसी श्रृंखला एक महीने के भीतर कहां बनती है।

कौन सी अधिसूचना अभिलेख रखने की क्रियाविधि और तरीका निर्धारित करती है?

अधिसूचना सं.15/2005 दिनांकित 13 दिसम्बर, 2005 द्वारा यथा संशोधित, अधिसूचना सं. 9/2005 दिनांकित 1 जुलाई, 2005 में अधिसूचित नियमों के नियम 3,4,5 एवं 6 अभिलेख रखने और उसे रोक कर रखने के लिए क्रियाविधि और तरीका विनिर्दिष्ट करते हैं।

काले धन को वैध बनाने से रोकने संबंधी अधिनियम, 2002 के अनुसार कौन सा अभिलेख रख जाना आवश्यक है?

अधिसूचना सं.9/2005 में अधिसूचित नियमों के नियम 3 के अनुसार, प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वितीय संस्थान और मध्यवर्ती निम्नलिखित का अभिलेख रखेगें :

- 10 लाख रूपए अथवा विदेशी मुद्रा में इसके समतुल्य से अधिक मूल्य के सभी नकद लेनदेन;
- अनिवार्य रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े लेनदेनों की सभी श्रृंखलाएं, जिनका मूल्यन 10 लाख रूपए अथवा विदेशी मुद्रा में उसके समतुल्य से कम किया गया है;
- ऐसे सभी नकद लेनदेन, जिसमें जाली अथवा खोटे मुद्रा नोटों अथवा बैंक नोटों का प्रयोग यथा वास्तविक हुआ है और जिनमें किसी मूल्यवान प्रतिभूति में धोखाधड़ी की गई है;
- सभी संदिग्ध लेनदेन, चाहे नकद किए गए हैं अथवा नहीं।

क्या प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वितीय संस्थान और मध्यवर्ती वितीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-इंड) को काले धन को वैध बनाने से रोकने संबंधी अधिनियम, 2002 के अधीन जानकारी देने के लिए बाध्य है?

हां, संबंधित अधिनियम, 2002 की धारा-12 प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वितीय संस्थान और मध्यवर्ती को अधिसूचना सं.9/2005 दिनांकित 1.7.2005 और 15/2005 दिनांकित 13.12.2005 में अंतर्विष्ट नियम 8 में विहित समय के भीतर निदेशक को अधिसूचना सं.9/2005 में अधिसूचित नियमों के नियम 3 में निर्दिष्ट सभी लेनदेनों पर जानकारी देने के लिए बाध्य करती है।

कौनसी, अधिसूचना, सूचना प्रस्तुत करने के लिए क्रियाविधियां और तरीके निर्धारित करती है?

अधिसूचना सं.15/2005 दिनांकित 13.12.2005 के साथ पठित अधिसूचना सं.9/2005 दिनांकित 1 जुलाई, 2005 में अधिसूचित नियमों के नियम 7 एवं 8 जानकारी प्रस्तुत करने के लिए क्रियाविधि एवं तरीका विनिर्दिष्ट करते हैं।

काले धन को वैध बनाने से रोकने संबंधी अधिनियम, 2002 के अधीन किस प्रकार की जानकारी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है?

- 10 लाख रूपए अथवा उसके समतुल्य विदेशी मुद्रा मूल्य से अधिक के सभी नकद लेनदेन की जानकारी;
- अनिवार्य रूप से एक दूसरे से जुड़ी नकद लेनदेनों की श्रृंखला, जिसका मूल्यन 10 लाख रूपए अथवा उसके समतुल्य विदेशी मुद्रा से कम किया गया है और जहां लेनदेनों की ऐसी श्रृंखला एक महीने के भीतर बन जाती है;
- ऐसे सभी नकद लेनदेन, जिनमें जाली अथवा खोटे मुद्रा नोटों और बैंक नोटों का प्रयोग यथा वास्तविक नोट किया गया है और जिनमें किसी मूल्यवान प्रतिभूति में धोखाधड़ी हुई है;
- सभी संदिग्ध लेनदेन चाहे ये नकद किए गए हैं अथवा नहीं।

वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-इंड) के निदेशक को जानकारी देने की जिम्मेदारी किसकी है?

अधिसूचना सं.9/2005 दिनांकित 1.7.2005 में अधिसूचित नियमों के नियम 7 की अपेक्षा के अनुसार प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्थान और मध्यवर्ती के लिए काले धन को वैध बनाने से रोकने संबंधी अधिनियम, 2002 के उद्देश्य से किसी अधिकारी को यथा प्रधान अधिकारी अभिहित करना आवश्यक है जिसके पास यथास्थिति बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्थान और मध्यवर्ती के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर वितीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-इंड) के निदेशक को नियम 3 में निर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी होगी। ऐसी जानकारी की एक प्रति कार्यालय के अभिलेख के प्रयोजन से प्रधान अधिकारी रोक कर रख सकेगा।

क्या किसी बैंककारी कंपनी, वितीय संस्थान अथवा किसी मध्यवर्ती को काले धन को वैध बनाने से रोकने संबंधी अधिनियम, 2002 के अधीन अभिलेख रखने की बाध्यता का अनुपालन नहीं करने के लिए दंडित किया जा सकता है?

हां, 2002 के इस अधिनियम की धारा-13 के अधीन यदि वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-इंड) का निदेशक पाता है कि कोई बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्थान अथवा मध्यवर्ती, अभिलेख रखने की बाध्यता का अनुपालन करने में विफल हो गई है, तब वह प्रत्येक विफलता के लिए 10 हजार रूपए से लेकर 1 लाख रूपए तक एक अर्थदंड उद्ग्रहीत कर सकता है।

ग्राहक कौन है?

ग्राहक का अर्थ एक व्यक्ति से होता है जो किसी बैंककारी कंपनी अथवा वित्तीय संस्थान अथवा मध्यवर्ती के साथ किसी वित्तीय लेनदेन में लगा रहता है और उसमें कोई ऐसा व्यक्ति शामिल होता है जिसकी ओर से, वह व्यक्ति, जो किसी लेनदेन अथवा गतिविधि में लगा है, कृत्य कर रहा है। अधिसूचना सं.9/2005 में अधिसूचित नियमों का नियम 9 ग्राहक की यह परिभाषा करता है जिसमें कोई व्यक्ति, कोई कंपनी, कोई भागीदार फर्म, एक निगमित सहचारी पर एक न्यास अथवा व्यक्तियों का एक निकाय शामिल है।

क्या यह आज्ञापक है कि ग्राहक की पहचान का कार्यक्रम क्रियान्वित करना चाहिए?

हां, प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्थान और मध्यवर्ती के लिए ग्राहक की पहचान का ऐसा कार्यक्रम तैयार करना और उसे क्रियान्वित करना आवश्यक है जो इसे काले धन को वैध बनाने से रोकने संबंधी अधिनियम, 2002 की अपेक्षाओं को पूरी करने में अपने ग्राहको की वास्तविक पहचान को अवधारित कर सकने के लिए समुचित समझता है। ग्राहक की पहचान के कार्यक्रम की एक प्रति वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-इंड) के निदेशक को अग्रेषित की जानी भी आवश्यक है।

लेनदेन क्या होता है?

किसी भी लेनदेन में किसी भी मुद्रा में निधियों का अंतरण अथवा जमा, आहरण, विनिमय शामिल होता है। चाहे यह नकद अथवा चैक से, भुगतान आदेश अथवा अन्य लिखतों से अथवा इलैक्ट्रॉनिक अथवा गैर-भौतिक साधनों से किया जाता है।

रिपोर्टें प्रस्तुत करने की देय तारीखें

रिपोर्ट	विवरण	देय तारीख
नकद लेनदेन की रिपोर्ट (सीटीआर)	10 लाख रूपए से अधिक अथवा विदेशी मुद्रा में उसके समतुल्य मूल्य के सभी नकद लेनदेन	अनुवर्ती महीने की 15 वीं तारीख
	अनिवार्य रूप से एक दूसरे से जुड़ी नकद लेनदेनों की सभी श्रंखलाएं, जिनका मूल्यन दस लाख रूपए अथवा इसके विदेशी मुद्रा समतुल्य से कम किया गया है और जहां लेनदेनों की ऐसी श्रृंखलाएं महीने में एक बार हुई हैं।	

जाली मुद्रा की रिपोर्ट (सीसीआर)	ऐसे सभी लेनदेन, जिसमें जाली अथवा खोटे मुद्रा नोटों का प्रयोग यथा वास्तविक किया गया है और जिनमें किसी मूल्यवान प्रतिभूति में जालसाजी हुई है।	ऐसे लेनदेन किए जाने की तारीख से तीन कार्यदिवस
संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर)	सभी संदिग्ध लेनदेन चाहे नकद हुए हैं अथवा नहीं।	ऐसे लेनदेन किए जाने की तारीख से तीन कार्यदिवस

- भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचनाओं में संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) प्रधान अधिकारी के स्तर पर संदेह सिद्ध हो जाने के 7 कार्यदिवसों के भीतर प्रतिवेदित की जाएगी।

पहचान का सत्यापन

प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्थान और मध्यवर्ती कोई खाता खोलते समय अथवा उसके साथ लेनदेन निष्पादित करते समय, ग्राहक की पहचान का अभिलेख स्थायी पते सहित उसका वर्तमान पता, ग्राहक की व्यापार की प्रकृति और वित्तीय हैसियत सत्यापित करेगा। जहां कोई खाता खोलने, कोई लेनदेन निष्पादित करने के समय, ग्राहक की पहचान सत्यापित करना संभव नहीं है, वहां बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्थान और मध्यवर्ती ग्राहक की पहचान का सत्यापन खाता खुल जाने अथवा लेनदेन निष्पादित हो जाने के बाद एक उपयुक्त समय के भीतर करेगा।

काले धन को वैध बनाने से रोकने (लेनदेनों की प्रकृति और मूल्य का अभिलेख रखने की क्रियाविधि, तरीका और सूचना प्रस्तुत करने के लिए समय और बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्थानों तथा मध्यवर्तियों के ग्राहकों की पहचान का अभिलेख रखने और सत्यापन संबंधी 2005 के नियमों के नियम 9 के अधीन उपबंध यथा निम्न उद्धृत किया जाता है:-

9. ग्राहक की पहचान के अभिलेख का सत्यापन-(1) यथास्थिति, प्रत्येक बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्थान और मध्यवर्ती कोई खाता खोलने अथवा उसके साथ कोई लेनदेन निष्पादित करने के समय, ग्राहक के स्थायी पते अथवा पतों सहित वर्तमान पता अथवा पतों और पहचान का अभिलेख रखेगा, ग्राहक के व्यापार की प्रकृति और उसकी वित्तीय हैसियत का सत्यापन करेगा;

किन्तु यह तब, जबकि कोई खाता खोलने अथवा कोई लेनदेन निष्पादित करना संभव नहीं, वहां यथास्थिति, बैंककारी कंपनी, वित्तीय संस्थान और मध्यवर्ती ग्राहक की पहचान, खाता खुल जाने अथवा लेनदेन निष्पादित हो जाने के बाद, एक उपयुक्त समय के भीतर, सत्यापित करेगा।''

स्रोत: वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-इंड)

काव्य सुधा

सर्वशिक्षा दीप जलायें

आज बैठी थी कंपकपाती ठंड में,
अभिभावकों की भारी भीड़ थी मेरे सामने,
वर्दी वितरण के रुपये थे मेरे हाथों में,
लेकिन उनकी गर्मी दिखाई दे रही थी मेरे सामने,
समझा रही थी हर किसी को,
बच्चे आते हैं ठिठुरते ऐसी ठंड में।
खर्च कर देना ये सारे पैसे,
उन्हीं की जरूरत के सामान में,
तभी एक मां खड़ी थी मेरे सामने,
कह रही थी क्या मिल जाएंगे पैसे मुझे,
मेरी बेटी नहीं आयी है साथ में।
जब उसने बेटी का नाम बताया,
मुझे उसका तोड़ा वादा याद आया,
कह कर गयी थी जा रही हूं गांव में,
नाम नहीं काटना शीघ्र ही आ जाऊंगी मैं।
तब से न तो कोई संदेशा आया,
न ही बच्ची पढ़ने आयी।
पढ़ाई की चिन्ता तो वापिस ला न सकी,
किन्तु आज मिलने वाले पैसों की खुशबू,
उन्हें विद्यालय तक जरूर खींच लायी।
मैंने उस वक्त भी उसे समझाया था,
बच्चों की पढ़ाई का नुकसान कराके,
क्यों ले जाना चाहती हो,
कितने बच्चे हैं तुम्हारे,
और तुम इनके भविष्य का क्या सोचती हो।।
क्यों नहीं टिकट के पैसे,
इन बच्चों पर खर्च कर दो,
एक जोड़ी ठीक वस्त्रों से,
इनके तन को ढ़क दो।
वह बोली एक ने पढ़ना छोड़ दिया है दूसरी है पांचवी में,
तीसरी आपकी कक्षा में चौथी पढ़ती है पहली में
सबसे छोटा बेटा, जो है मेरी गोद में, इसी का मुडन होना है
वरना नहीं जाती गांव में।
काश आज सरकार इन्हें पैसे देने के बजाय,
वर्दी का सामान देती,
साथ ही छोटे परिवार का महत्व,
जन-सामान्य को मुफ्त में समझाती,
चंदा बांटने की बजाय,
परिवार नियोजन पर खर्च बढ़ाती।
पर अगर वो ऐसा करती,
तो उसकी दाल कहां से गलती,
एक या दो बच्चे होते,
मां बाप की आंखों के तारे होते।
ना वो भूखे नंगे फिरते,
ना निठारी व मुक्तसर जैसे काण्ड होते।
पर क्यों करे ऐसा सरकार,
आखिर यही है उसके वोटों का आधार।
अगर शिक्षित होगा समाज तो,
नेता किसको मूर्ख बनाएंगे।
झूठे वादों के बल पर,
कैसे सरकार चलाएंगे।
आओ मिल कर कसम ये खायें,
सर्वशिक्षा का दीप जलायें,
अज्ञानता को दूर भगाकर,
हर मन में उजियारा लाएं।।

– **श्रीमति विनीता कुमारी**
पत्नी श्री योगेन्द्र सिंह, उप प्रबंधक

नियति चक्र

- एस.डी. शर्मा
लेखाधिकारी (सेवानिवृत्त)

भाग्य की विडम्बना अति विचित्र है। कभी भाग्य मनुष्य को रूलाता है तो कभी हंसाता है। जीवन मे जब संकट आता है तो मानव दुखी होता हैं चीख-चीख कर रोता है। भाग्य को कोसता है यहां तक कि भगवान को भी गाली देने लगता है। परंतु सह नहीं सोचता कि अमुक दुर्घटना क्यों हुई, यह किसी न किसी बुरे अथवा पाप कर्मो का फल होगा। यदि ऐसा सोचना शुरू कर दे तो फिर भगवान को दोष नहीं देगा तब ठंडे मस्तिष्क से सोचने पर विवश हो जाएगा कि ईश्वर ने मुझे किसी पाप कर्म का दंड दिया है। यदि उसे भगवान में सच्ची श्रद्धा तथा आस्था होगी तो ईश्वर से धैर्य के लिए, प्रार्थना करेगा और विपदा में धैर्य धारण करने का प्रयास करेगा। इसके विपरीत प्रसन्नता के क्षणों मे भगवान को धन्यवाद न देकर स्वयं को भाग्यशाली समझेगा। तथा अपने शुभ कर्मो का परिणाम समझेगा। ऐसी स्थिति में मनुष्य आवश्यकता से अधिक सुख का अनुभव करने लगता है। यही अज्ञानता का कारण है। विद्वान लोग तो यह कहते हैं कि दुख आने पर अधिक दुखी मत होओ, धैर्य पूर्वक सहन करो और सुख से अधिक प्रसन्न मत होवो, दोनों स्थितियों में सम रहो यही बुद्धिमान पुरूष का लक्षण है। तभी तो शास्त्रों में लिखा है:

अप्राप्यं वांछन्ति, नष्टं नेछन्ति शोचितुम।
आप्तसु च न मुहयन्ति, नरा पंडित बुद्धय:।।

अर्थात जो अप्राप्य है उसकी कभी इच्छा न कर, जो नष्ट हो गया है उसके लिए चिंता न कर। आपत्ति पड़ने पर जो डगमगाते नहीं, वही मनुष्य पंडित एवं बुद्धिमान हैं।

गोस्वामी संत तुलसीदास ने कर्म की प्रधानता पर बल देते हुए लिखा है-

कर्म प्रधान विश्व रचि राखा,
जो जस करहि सोई फल चाखा।

सकल पदारथ है जग माही,
बिना भाग्य, नर पावत नाहीं।।

उपरोक्त पंक्तियों में महाकवि तुलसीदास ने कर्म को प्रधान एवं भाग्य को गौण ठहराया है। अर्थात भाग्य कर्म से बनता है कर्म भाग्य से नहीं बनता है जिसे नियति भी कहते हैं।

कर्म तीन प्रकार के होते हैं। तात्कालिक, संचित एवं प्रारब्ध तात्कालिक कर्म का फल उसी समय या कुछ समय बाद मिल जाता है। जैसे बाजार से फल खरीदा, सेवन कर लिया भोजन पकाया, सेवन कर लिया। संचित कर्मो का फल देर में या अनेक वर्षो के बाद मिलता रहता है। जैसे ब्रह्मचर्य अवस्था विद्याध्ययन करने में कई वर्ष लगाये थे उसके फलस्वरूप व्यवसाय मिला और जीवन भर उसका लाभ प्राप्त करते रहे। बीस वर्ष पहले बैंक में धन जमा किया था, जीवन-भर उसका ब्याज कमाते रहे। ये संचित कर्म हैं। तीसरा प्रारब्ध कर्म वे कर्म हैं जिनको हम भूल जाते हैं और जिनका फल अगले जन्म या उसके भी आगे के जन्मों में मिलता है। उदाहरण के तौर पर अमुक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना या रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या भयंकर रूप से जख्मी हो जाता है तब वह व्यक्ति यदि जीवित रह जाता है तो स्मरण करता है कि मैंने सारे जीवन में ऐसा कोई पाप तो नहीं किया परंतु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब सोचने पर विवश हो जाता है कि किसी पूर्व जन्म के पाप कर्मो का यह फल मिला है जिसे प्रारब्ध कहते हैं। इसके विपरीत कोई अप्रत्याशित लाभ या पदोन्नति होती है तो वह भी पूर्व जन्म के शुभ कर्मो का फल हो सकता है जिसका उसे कोई ज्ञान नहीं होता। केवल परमेश्वर जानता है। इसीलिए मनुष्य को स्वभाव से पाप कार्य करने में लज्जा, भय और शंका की अनुभूति होती हैं इसके विपरीत शुभ कार्य करने में उत्साह, साहस और प्रसन्नता की अनुभूति होती है।

भारत के प्रदेश : बिहार

प्रस्तुति : **ओ.पी. पुरी**
सहायक महाप्रबंधक

बिहार

पुरूष: 43,153,964; महिलायें: 39,724,832; वृद्धि दर (प्रतिशत) (1991-2001): 28.43; जनसंख्या घनत्व: 880; शहरी जनसंख्या: 10.47%; लिंगानुपात (महिलायें प्रति हजार पुरूष): 921; साक्षरता: 47.53; पुरूष: 60.32; महिलायें: 33.57; प्रतिव्यक्ति आय: 21.22 रू।

भू-आकृति

बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला दूसरा राज्य है। इसकी स्थिति उत्तर में 27डि॰ 00' से 27 डि॰ 31' तथा पूर्व में 83डि॰ 20' से 88डि॰ से 17' के मध्य है। यह राज्य उत्तर से दक्षिण की ओर 695 कि.मी. के क्षेत्र में फैला हुआ है जबकि पूर्व से पश्चिम की दिशा में इसकी चौड़ाई 483 कि.मी. है। उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश दक्षिण में उड़ीसा तथा पूर्व में प.बंगाल से घिरा बिहार आकृति में चतुर्भुज-सा है।

कृषि

भारत के अन्य राज्यों की भांति राज्य की लगभग तीन-चौथाई जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन संबंधी व्यवसायों पर निर्भर है।

यहां की प्रमुख खाद्य फसलें हैं: धान, गेहूं, मक्का और दालें। मुख्य नकदी फसलें है: गन्ना, आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च, पटसन औा मेस्ता। लगभग 6,764.14 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में वन फैले हैं जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का करीब 7.1 प्रतिशत है।

उद्योग

राज्य के मुख्य उद्योग हैं: मुजफ्फरपुर और मोकापा में भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट। बरौनी में भारतीय तेल निगम का तेलशोधक कारखाना है। बरौनी का एच.पी.सी.एल. और अमझोर का पाइराइटस फोस्फेट एंड कैमिकल्स लिमिटेड (पी.पी.एस. एल.) राज्य के उर्वरक संयंत्र है। सीवान, भागलपुर, पंडौल, मोकापा और गया में पांच बड़ी सूत कताई मिलें हैं। उत्तर व दक्षिण बिहार में 13 चीनी मिलें निजी क्षेत्र की तथा 15 चीनी मिलें सार्वजनिक क्षेत्र की हैं जिनकी कुल पेराई क्षमता 45,000 टी.पी.डी. है। इसके अलावा गोपालगंज, पश्चिमी चम्पारन, मुजफ्फरपुर और बरौनी में चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग हैं।

परिवहन

मार्च, 2001 तक बिहार में 2,461.73 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, 10,951.07 किलोमीटर प्रांतीय राजमार्ग तथा प्रमुख जिला सड़कें शामिल थीं।

रेलवे

बिहार में रेललाईनों का अच्छा जाल बिछा हुआ है। मोकामा में एकमात्र रेलवे पुल होने के कारण उत्तरी बिहार के लिए परिवहन व्यवस्था में थोड़ी परेशानी है। कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने वाले रेल मार्गों, जैसे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर-बरौनी-कटिहार और मुजफ्फरपुर-छपरा-सिवान को बड़ी लाइन में बदला गया है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, कटिहार और समस्तीपुर राज्य के मुख्य रेलवे जंक्शन हैं।

उड्डयन

राज्य में सभी बड़े जिलों में हवाई पट्टियों के अलावा पटना में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है।

पर्यटन स्थल

राज्य के प्रमुख पर्यटन केन्द्र हैं: राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुरी (भगवान महावीर ने जहां अंतिम सांस ली और निर्वाण को प्राप्त हुए), बोध, गया, विक्रमशिला (उच्च शिक्षा के बौद्ध विश्वविद्यालय के अवशेष), पटनरा (पाटलीपुत्र का प्राचीन नगर), सासाराम (शेरशाह सूरी का मकबरा) और मधुबनी (प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला का केन्द्र)।

क्र.सं.	जिला	क्षेत्रफल	जनसंख्या (वर्ग किलोमीटर)
1.	अररिया	2,796.8	21,24,831
2.	औरंगाबाद	3,389.2	20,04,960
3.	बेगूसराय	1,889.1	23,42,989
4.	भागलपुर	2,501.9	24,30,331
5.	बांका	3,020.2	16,08,778
6.	भोजपुर	2,337	22,33,415
7.	बक्सर	1,633.6	14,03,462
8.	कैमूर (भभुआ)	1,840.3	12,84,575

9.	दरभंगा	2,502	32,85473
10.	पूर्वी चम्पारन	4,154.8	39,33,636
11.	गया	4,941	34,64,983
12.	गोपालगंज	2,009.2	21,49,343
13.	जहानाबाद	1,569.3	15,11,406
14.	जमुई	2,996.5	13,97,474
15.	सहरसा	1195.6	15,06,418
16.	कटिहार	3,009.9	23,89,533
17.	खगड़िया	1,485.8	12,76,677
18.	किशनगंज	1,938.5	12,94,063
19.	मधेपुरा	1,797.4	15,24,596
20.	मधुबनी	3,477.8	35,70,651
21.	मुंगेर	–	11,35,499
22.	लखीसराय	3,302.2	8,01,173
23.	शेखपुरा	–	5,25,137
24.	मुजफ्फरपुर	3,122.7	37,43,836
25.	नालंदा	2,361.7	23,68,327
26.	नवादा	2,497.5	18,09,851
27.	पटना	3,130.1	47,09,851
28.	पूर्णिया	3,202.3	25,40,788
29.	रोहतास	3,838.2	24,48,672
30.	समस्तीपुर	2,578.7	34,13,413
31.	सारन	2,624.1	32,51,474
32.	सीतामढ़ी	2,627.7	26,69,887
33.	शिवहर		5,14,288
34.	सिवान	2,213	27,08,840
35.	सुपौल	2,984.9	17,45,069
36.	वैशाली	1,995.3	27,12,389
37.	पश्चिमी चम्पारन	4,249.9	30,43,044
	कुल	**94,164**	**8,28,78,796**

खनिज

राज्य का दक्षिणी क्षेत्र जो छोटानागपुर पठारी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, में खनिज सम्पदा की बहुलता है। देश में पाये जाने वाले खनिजों का 25% भंडार इस राज्य में विद्यमान है। कोयला, लौह अयस्क, ताम्र अयस्क, यूरेनियम, चुना-पत्थर, बॉक्साइट, डोलोमाट, फायरक्ले, चीनी मिटटी, पायराइट, गेफाइट, कायनाइट, अभ्रक, फेल्सपार, क्वार्टज, मैगनेटाईट, सोप स्टोन, तुफालाइम, बेन्टो-नाईट, प्लौन्ट-स्टोन स्लेट एवं मार्बल खनिज के भण्डार उपलब्ध हैं।

विश्वविद्यालय

बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा; बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर; जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा; कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा; ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा; मगध विश्वविद्यालय, बोधगया; नालंदा खुला विश्वविद्यालय, पटना; पटना विश्वविद्यालय; सिद्ध कान्हु विश्वविद्यालय; दुमका; तिल्का मांझी भगलपुर विश्वविद्यालय; वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आराह; विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग। अरबी और फारसी के विकास के लिए हाल ही में मौलाना आजाद विश्वविद्यालय का गठन किया गया है।

2006 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि

चालू वित्तीय वर्ष 2006 की दूसरी तिमाही जुलाई-सितम्बर 2006 के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (CSO) द्वारा गत 30 नवम्बर को जारी किए गए इन आंकड़ों के अनुसार सन्दर्भित अवधि जीडीपी में वृद्धि 9.2 प्रतिशत रही है। 1991-92 में आर्थिक सुधार लागू होने के पश्चात् किसी भी तिमाही में प्राप्त की गई यह सर्वोच्च वृद्धि की दर है (1991 में आर्थिक सुधार लागू होने के बाद 6 वर्षों तक देश में जीडीपी का आकलन वार्षिक आधार पर ही किया जाता रहा था तथा त्रैमासिक आधार पर यह आकलन 1997-98 से ही शुरू किया गया था। 1991-97 के दौरान जीडीपी के सालाना आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उन वर्षों में किसी भी तिमाही में वृद्धि दर 9 प्रतिशत से अधिक नहीं रही होगी। 2006-07 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2006) में देश में जीडीपी वृद्धि 8.9 प्रतिशत रही थी। इसे समायोजित करते हुए 2006-07 की पहली छमाहीं (अप्रैल-सितम्बर 2006) में वृद्धि दर 9 प्रतिशत नहीं है।

सीएसओ के आंकड़ों के अनुसार 2006-07 की पहली छमाही में ऊंची दर की प्राप्ति में उद्योगों व सेवाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। इस छमाही में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों में वृद्धि 1.7 प्रतिशत ही रही है जो पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में 4.0 प्रतिशत थी।

भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च 10.5 प्रतिशत की वृद्धि 1988-89 में प्राप्त की गई थी। किन्तु बाद के वर्षों में यह बनी नहीं रह सकी। बाद में 1989-90 में यह 6.7 प्रतिशत, 1990-91 में 5.6 प्रतिशत तथा 1991-92 में यह 1.3 प्रतिशत ही रह गई थी। उसके बाद ही देश में आर्थिक सुधार कार्यक्रम की शुरूआत तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह व तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिंहराव के नेतृत्व में की गई थी।

प्रस्तुति : आदित्य शर्मा, उप प्रबंधक

बैंक की व्यावसायिक गतिविधियां

आवास वित्त कंपनियों का पर्यवेक्षण

बैंक ने तिमाही के दौरान निर्देश जारी किये कि कोई भी आवास वित्त कंपनी 29 सितम्बर, 2006 से सार्वजनिक जमा तभी स्वीकार या नवीनीकरण कर सकती है, यदि कंपनी ने किसी अनुमोदित रेटिंग एजेंसी (क्रिसिल, आईसीआरए लि., केयर एवं फिच रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लि.) से अपनी सावधि जमाओं के लिए न्यूनतम ग्रेड रेटिंग प्राप्त कर ली हो। (संदर्भ: रा.आ. बैंक एच.एफ.सी. निर्देश 17/सी.एम.डी./2006 दिनांक 29 सितम्बर, 2006)

विवरणियां ऑनलाइन प्रस्तुत करना और उनकी मानीटरिंग

आवास वित्त कंपनियों और बैंकों द्वारा विभिन्न प्रकार की विवरणियां निर्दिष्ट फार्मेट पर बैंक के विभिन्न विभागों को प्रस्तुत की जाती हैं। अनुभव से देखा गया है कि हाथ से भरी उन विवरणियों पर संबंधित विभागों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई करनी होती है। अत: सूचना का तुरंत प्रयोग नहीं हो पाता है और प्राप्त आंकड़ों को भी पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए, यह निश्चय किया गया कि सभी विवरणियां ऑनलाइन प्राप्त की जाएं ताकि उनकी प्रभावी ढंग से मानीटरिंग हो सके।

बैंक ने एक वेब आधारित एप्लीकेशन सिस्टम ''सेंट्रल फार्म रिपाजीटरी'' (सीएफआर) लांच करने का निर्णय लिया है जिससे संगठनों द्वारा विवरणियां ऑनलाइन प्रस्तुत की जा सकें। सीएफआर सिस्टम में सुरक्षा उपायों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की गोपनीयता, निष्ठा और प्रस्तुति सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। आवास वित्त कंपनियों को इलैक्ट्रानिक सिस्टम को आरंभ करने के बारे में सूचित किया गया है ताकि वे इस नई प्रणाली के अनुरूप स्वयं को तैयार कर लें।

रा.आ. बैंक अधिनियम के तहत पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां

21.06.2006 तक कुल 46 पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां थीं। इनमें से 22 आवास वित्त कंपनियों को प्रदत्त पंजीकरण प्रमाण-पत्र में सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार करने की अनुमति दी गई है। एचबीएन हाउसिंग फाइनेंस लि., नई दिल्ली और केरल हाउसिंग फाइनेंस लि., तिरूवअनन्तपुरम का पंजीकरण किया गया है।

वित्तीय गतिविधियां

पुनर्वित

आवास वित्त संस्थानों को पुनर्वित

अक्तूबर-दिसम्बर 2006 (18.12.2006 तक) के दौरान संवितरण

	(करोड़ रुपए)
आवास वित्त कंपनियां	44.76
आनुसूचित बैंक	1055.00
सहकारी क्षेत्र के संस्थान	5.00
कुल	**1104.76**

अक्तूबर-दिसम्बर 2006 (18.12.2006 तक) के दौरान किये संवितरण में से स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के तहत संवितरण

आवास वित्त कंपनियां	34.76
अनुसूचित बैंक	725.00
सहकारी क्षेत्र के संस्थान	5.00
कुल	**764.76**

आवास परियोजनाओं का वित्त पोषण

परियोजना वित्त

पब्लिक हाउसिंग एजेंसी को आंध्र प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए मकान निर्माण करने हेतु 320 करोड़ रु. का सावधि ऋण संस्वीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर की एक आवास एजेंसी को विभिन्न श्रेणियों के लिये मकानों का निर्माण करने के लिए 197 करोड़ रु. का ऋण दिया गया।

बैंक ने धन फाउंडेशन, तिरुपति के सहयोग से गरीबों के लिए हाउसिग माइक्रोफाइनेंस के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला का 4-5 अक्तूबर, 2006 को आयोजन किया। कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के गैर-सरकारी संगठनों/माइक्रो वित्तीय संस्थानों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, आवास क्षेत्र में माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के प्रवेश से संबंधित विभिन्न मुद्दों की पहचान करना था। बैंक ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीबों के लिए ऋण उपलब्धता को बढ़ाने के लिए धन फाउंडेशन के सहयोग से कार्य करने हेतु एक समझौता ज्ञापन जारी किया है। बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय आधार ढांचा उपलब्ध कराने के तहत परियोजनाओं को सम्मिलित आधार पर वित्त पोषण के लिए ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स के साथ भी एक समझौता ज्ञापन किया है।

बैंक ने तिमाही के दौरान 0.60 करोड़ रु. की राशि संवितरित की। इस प्रकार 19 जून, 2006 तक इस मद में 364.55 करोड़ रु. संवितरित किये जा चुके हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा वित्त पोषित स्लम पुनर्वास परियोजनाएं

अपने एक अग्रणी प्रयास में, राष्ट्रीय आवास बैंक ने एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती धारावी में एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा चलाई स्लम पुनर्वास परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

संसाधन जुटाना

तिमाही के दौरान 20 दिसम्बर, 2006 तक जुटाए संसाधनों की स्थिति निम्नानुसार है:

स्रोत	संग्रहीत राशि (करोड़ रु.)
वाणिज्यिक पेपर	682.88
एलओसी	315.00
जमा के आधार पर ऋण	526.10
सावधि ऋण	1473.00
बांड	282.87
कुल	**3279.85**

रेजीडेक्स

रिहायशी क्षेत्रों की मूल्य तालिका तैयार करने के लिए दिल्ली में प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने के बाद, तकनीकी सलाहकार ग्रुप, जो परियोजना की मानीटरिंग और दिशा-निर्देशन कर रहा है, ने चार अन्य नगरों जैसे भोपाल, मुम्बई, कोलकाता और बैंगलूर में मॉडल जांच करने का निर्णय लिया है। इन नगरों में सर्वेक्षण और गणना करने का कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।

प्रशिक्षण

तिमाही के दौरान बैंक ने दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। आवास वित्त कंपनियों और बैंकों के विधिक अधिकारियों के लिए विधिक मामलों पर अक्तूबर, 2006 के प्रथम सप्ताह में जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विधिक मुद्दों, प्रलेखन संबंधी जानकारी, विशेष विधायी प्रावधानों, प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन, बंधक समर्थित प्रतिभूतिकरण के कानूनी पहलुओं तथा आवास से संबंधित सामान्य कानूनों और वित्तीय प्रावधानों से अवगत कराया गया। आवास वित्त कंपनियों के लिये विनियामक फ्रेमवर्क पर एक दो दिवसीय कार्यक्रम का भी आयोजन भुवनेश्वर में दिसम्बर 2006 के शुरु में किया गया। इस कार्यक्रम में आवास वित्त कंपनियों के वरिष्ठ एवं मध्य स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विनियामक/सांविधिक अपेक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई जिससे प्रतिभागी परिचालन संबंधी मामलों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर सकें।

19-22 सितम्बर, 2006 को वेंकुवर, ब्रिटिश कोलम्बिया, कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय आवास वित्त संघ का 26 वां विश्व सम्मेलन

सम्मेलन का दृश्य - सबसे दांए बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एस. श्रीधर

आवास वित्त के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूनियन का विश्व सम्मेलन सितम्बर, 2006 में कनाडा में हुआ। आवास वित्त का अंतर्राष्ट्रीय संघ लगभग सारे विश्व में बंधक ऋण देने और आवास वित्त में प्रवृत्तियों और अभिनव परिवर्तनों के लिए जानकारी का एक प्राथमिक स्रोत है। सम्पूर्ण विश्व से 60 सदस्य देशों के साथ लंदन आधारित आवास वित्त का अंतर्राष्ट्रीय संघ आवास वित्त के व्यवसायियों और उन संगठनों, जिन्हें वे आगे ले जाते हैं, की प्रभावकारिता उन्नत बनाने का प्रयास करता है।

आवास वित्त एक विश्वव्यापी रूपान्तरण से गुज़र रहा है और मात्र कुछेक विकसित अर्थव्यवस्थाओं तक ही सीमित नहीं है। इस सम्मेलन में, अन्य बातों के साथ-साथ, तेज़ी से विकसित होती कुछेक अर्थव्यस्थाओं के अतिरिक्त, विशाल बंधक बाजारों, दोनों से निकट भविष्य की प्रमुख चुनौतियों और प्रवृतियों पर विचार-विमर्श किया गया। इसमें बंधक बंधपत्रों (बांड्स) के भविष्य और आवास वित्त को अधिक किफायती बनाने के लिए भिन्न-भिन्न निधिकरण उपायतंत्रों एवं अनुकूल विकास के साधनों की भी जांच की गई।

सम्मेलन में 42 देशों से बंधक वित्त के क्षेत्र में कार्यरत दो सौ से अधिक प्रतिभागियों ने एक साथ भाग लिया। शिष्टमंडल में आवास वित्त और बंधक बैंककारी संस्थानों एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के शीर्ष स्तर के अधिकारीगण शामिल थे। सम्मेलन में आवास विकास वित्त निगम और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक, भारत के प्रतिनिधि थे। राष्ट्रीय आवास बैंक, जिसका प्रतिनिधित्व श्री एस. श्रीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री आर.वी. वर्मा, कार्यपालक निदेशक, श्री वै. राजन, सहायक महाप्रबंधक कर रहे थे, सम्मेलन में भाग ले रहे दल का एक प्रमुख सदस्य था।

रायपुर में ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुख-सुविधाएं प्रदान करने (पुरा) की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने पर प्रदर्शनी

राष्ट्रीय आवास बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुख-सुविधाएं प्रदान करने (पुरा) की संकल्पना दर्शाते हुए एक प्रदर्शनी आयोजित की थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में लगाई गई थी। भारत के

महामहिम राष्ट्रपति जी ने स्थानीय मंत्रियों और राज्य के अधिकारियों के साथ प्रदर्शनी स्थल का दौरा किया।

आवास एवं मानव बसाव पर एशिया पेसिफिक शासकीय सम्मेलन

13-16 दिसम्बर के बीच नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सं. रा. पर्यावास के साथ भारत गणराज्य की सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर से एशिया पेसिफिक देशों का आवास और मानव बसाव पर प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया।

सं.रा. पर्यावास के अनुसार एशिया और पेसिफिक देशों की 43. 2% आबादी गंदी बस्तियों में रह रही है। यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है, तब यह आशंका की जाती है कि वैश्विक गंदी बस्तियों का आबादी 2020 तक 1.4 बिलियन पर पहुंच सकती है, इस प्रकार से प्रत्येक दो व्यक्तियों में से एक गंदी बस्तियों से होगा। इस पृष्ठभूमि में, यह सम्मेलन चिंता विषयों के समाधान और अन्यों के साथ-साथ, शहरीकरण की चुनौती को विकास के लिए किसी भी अवसर में बदलने, विशेष रूप से, आवास और शहरी मानव बसाव के लिए एकीकृत प्रयासों को समेकित करके रणनीतियां निर्धारित करने के लिए आयोजित किया गया था। सदस्य देशों ने आवास में और शहरी मानव बसाव तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों के विकास के परिणामों में क्षेत्र की सार्वजनिक नीतियों के क्रियान्वयन और डिजाइन के अनुभवों का आदान-प्रदान किया। शहरीकरण, विशेष रूप से, एशिया पेसिफिक के शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों तथा अनौपचारिक बस्तियों में शहरी गरीबी में वृद्धि के परिणामस्वरूप उसका प्रबंध करने के तरीकों पर भी प्रकाश डाला गया।

15 दिसम्बर, 2006 को वित्त और आवास तथा सतत शहरीकरण के लिए संस्थागत ढांचों पर हुई एक कार्यसंजालीय (नेटवर्किंग) घटना में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने 'आवास हेतु संस्थागत वित्तपोषण' पर एक व्याख्यान दिया। राष्ट्रीय आवास बैंक ने भी प्रर्दशनी के क्षेत्र में सूचना काउंटर खोला और भारत तथा विदेश, दोनों के शिष्टमंडलों ने बैंक की गतिविधियों में रूचि दर्शाई। क्षेत्रीय आवास की जरूरत को पूरा करने के लिए, ग्राहक के अनुकूल समाधान हेतु एक प्रभावी वितरण उपायतंत्र कायम करने के प्रयोजन से, राष्ट्रीय आवास बैंक देश के विभिन्न नगरों में प्रतिनिधि कार्यालयों के जरिए एक क्षेत्रीय कार्यसंजाल (नेटवर्क) स्थापित करना चाहता है। इस दिशा में, बैंक का एक प्रतिनिधि कार्यलय हाल ही में हैदराबाद में खोला गया है।

महाराष्ट्र के गांव राहूरी में समाज कल्याण योजना तथा केन्द्र सरकार के कार्यक्रमों पर मेला

केन्द्र सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा महाराष्ट्र के एक गांव राहूरी में 28 अगस्त से 1 सितम्बर 2006 तक 'भारत निर्माण अभियान' मेला आयोजित किया गया जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 15 प्वांइट कार्यक्रम की जानकारी दी गई जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे मील योजना तथा नगर सुधार मिशन आदि। मेले में राष्ट्रीय आवास बैंक ने भी अपना एक स्टाल लगाया। यहां हमारे दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय के श्री मंदार लाड, सहायक प्रबंधक ने अपने अभिभाषण में रा.आ.बैंक के कार्यकलापों पर प्रकाश डाला। माननीय श्री गोविंदराव आदिकजी, श्री प्रसादजी तनपुरे, पूर्व सांसद एवं श्री बुधाजीराव मुलीकजी द्वारा स्टाल पर आगमन के समय श्री मिलिंद देशपांडे, प्रबंधक, ने उन्हें शाल, श्रीफल तथा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। स्टाल पर अनेक लोगों ने बैंक की विविध योजनाओं में रूचि ली। बैंक ने अपनी योजनाओं के बारे में पत्रकों का वितरण किया।

राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार

बधाई

श्रीमती ममता सक्सेना बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री अमलेन्द्र प्रसाद सक्सेना की पत्नी है एवं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। श्रीमती सक्सेना ने Air Quality Modeling and Non-conventional Solution to Environmental Problems with Reference to Vedic Science पर सफल शोध किया। इसके लिए उन्हें डा. आफ फिलासफी उपाधि से अलंकृत दिया। श्रीमती सक्सेना नारी जागरण आंदोलन से भी सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं।

मिर्जा गालिब

प्रस्तुति: **श्री किशोर कुभांरे**
प्रबंधक

उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा में काला महल में जन्मे मिर्जा असदुल्ला बेग खान को 27 दिसम्बर, 2006 का 209वां जन्मदिन था। दक्षिण एशिया में अपने जमाने के और आज भी वह उर्दू के चुनिंदा फनकारों में से एक हैं जिन्होंने उर्दू फारसी को बुलंदियों तक पहुंचाया।

गालिब ने अपने बारे में खुद कहा था कि गर आप मुझको जानना चाहते हैं तो मेरे फारसी कलाम को पढ़िए। यह अलग बात है कि लोग फारसी को ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन उसके अनुवाद को पढ़कर ही उनके शायरी से रु-ब-रु हो रहे हैं। शायद ही इंसानी जिंदगी का कोई पहलू ही जिसे गालिब ने अपनी शायरी में पेश न किया हो। गालिब अकादमी से जुड़े डा॰ अकील सही कहते हैं कि गालिब ने हमेशा सच बोला और उन्होंने जीवन के किसी भी पहलू को छिपाया नहीं।

हम नीचे मिर्जा गालिब द्वारा रचित नज़्म पेश कर रहे हैं -

इश्क़ मुझको नहीं, वहशत ही सही।
मेरी वहशत, तेरी शोहरत ही सही।।
क़त'अ कीजे न त' आल्लुक हम से।
कुछ नहीं है, तो 'अदावत ही सही।।
मेरे होने में है क्या रुस्वाई।
अय, वो मज्लिस नहीं, खल्वत ही सही।।
हम भी दुश्मन तो नहीं है अपने।
गैर को तुझ से मुहब्बत ही सही।।
अपनी हस्ती ही से हो, जो कुछ हो।
आगही गर नहीं ग़फ़्लत ही सही।।
उम्र हरचन्द कि है बर्क़ खिराम।
दिल के खूं करने की फ़ुर्सत ही सही।।
कुछ तो दे, अय फलक-ए-ना-इंसाफ़।
आह-ओ-फर्याद की रुखसत ही सही।।
हम भी तस्लीम की खू डालेंगे।
बेनियाज़ी तेरी आदत ही सही।।
यार से छेड़ चली जाये, 'असद'।
गर नहीं वस्ल तो हसरत ही सही।।

कोई उम्मीद बर नहीं आती।
कोई सूरत नज़र नहीं आती।।
मौत का एक दिन मु' अइयन है।
नींद क्यों रात भर नहीं आती।।
आग आती थी हाले-दिल पे हंसी।
अब किसी बात पर नहीं आती।।
जानता हूं सवाब-ए-ता' अत-ओ-ज़ेहद।
पर तबी'अत इधर नहीं आती।।
है कुछ ऐसी ही बात, जो चुप हूं।
वर्ना: क्या बात कर नहीं आती।।
क्यों न चीख़ूं कि याद करते हैं।
मेरी आवाज़ गर नहीं आती।।
दाग-ए-दिल गर नज़र नहीं आता।
बू भी अय चार:गर नहीं आती।।
हम वहाँ है, जहाँ से हमको भी।
कुछ हमारी खबर नहीं आती।।
मरते हैं आरज़ू में मरने की।
मौत आती है, पर नहीं आती।।
का' वे किस मुंह से जाओगे 'गालिब'।
शर्म तुम को मगर नहीं आती।

आपकी पाती

दि. 2.12.06

प्रिय महोदय,

'आवास भारती', जुलाई-सितंबर 2006 अंक

आपके 10 नवंबर 2006 के पत्र के साथ 'आवास भारती' मिली। आकर्षक रूप से प्रकाशित इस पत्रिका में समाहित रचनाएं संतुलित, रोचक एवं जानकारीपरक हैं।

विशेष बात यह लगी कि रचनाओं के चयन एवं संपादन में सतर्कता बरती गई है और पत्रिका को संस्था के प्रति उद्देश्य परक बनाने का प्रयास किया गया है। सीमित समय एवं साधनों के चलते भी पत्रिका के स्वरूप को निरंतर स्तरीय बनाए रखना वास्तव में एक सराहनीय एवं अनुकरणीय कार्य है, इसके लिए संपादक मंडल को बधाई।

शुभकामनाओं सहित

(डॉ. सुनील कुमार लाहोटी)
महाप्रबंधक (हिन्दी)
आई.डी.बी.आई. बैंक

दि. 13.12.06

महोदय,

आपके दिनांक 16-11-2006 के पत्र सं. रा.आ. बैंक (न.दि.) आवास भारती/440/06 साथ ''आवास भारती'' पत्रिका की प्रति प्राप्त हुई, धन्यवाद।

पत्रिका की रूप सज्जा तथा सामग्री संकलन अत्यंत आकर्षक है। पत्रिका में संकलित सभी लेख उच्चकोटि के तथा ज्ञानप्रद हैं। संपादन और कलेवर की दृष्टि से पत्रिका सुरूचिपूर्ण है। पत्रिका के प्रकाशन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं।

(डॉ. गजराज सिंह)
अनुसंधान अधिकारी,
गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

दि. 23.11.06

प्रिय महोदय जी,

आपके संपादन में प्रकाशित आपकी पत्रिका ''आवास भारती'' का जुलाई-सितंबर, 2006 अंक प्राप्त हुआ।

पत्रिका में संग्रहीत सामग्री में विविधता है सबसे अच्छी बात है कि इसमें भवन निर्माण संबंधित कई स्तरीय लेख हैं जो पाठकों के ज्ञान में वृद्धि करते हैं स्वास्थ्य पर भी कई लेख हैं जो समय की मांग है। पत्रिका हर दृष्टि से चाहे रचनाओं का क्षेत्र हो या मुद्रण व प्रस्तुतिकरण का, उत्कृष्ट है। उत्तरोत्तर विकास हेतु शुभकामनाएं।

(डॉ. मणिक मगेश)
वरिष्ठ प्रशासन प्रबंधक एवं हिंदी प्रभारी
इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लि.,
स्कोप कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003

दि. 5.12.06

प्रिय महोदय,

विषय : 'आवास भारती' के सितंबर, 2006 अंक की प्राप्ति

उपरोक्त विषयक पत्रिका की एक प्रति प्राप्त हुई। धन्यवाद। श्री राकेश कुमार जी का 'रेडीमिक्स कंक्रीट' नामक लेख प्रेरणापरक हैं। ओ.पी. पुरी जी की रचना 'देश की आवास समस्या' के समाधान में राष्ट्रीय आवास बैंक का योगदान नामक लेख की जितनी भी प्रशंसा की जाए, कम है। इसके साथ ही पत्रिका में प्रकाशित अन्य सभी रचनाएं पठनीय हैं। मैं कामना करता हूं कि पत्रिका में दिन प्रतिदिन और रचनात्मक निखार आए। आवास निर्माण के क्षेत्र में 'आवास भारती' प्रेरणा बनें। इसी मंगल कामना के साथ संपादक मंडल को पत्रिका के सफल संपादन के लिए बधाई एवं आगामी अंक हेतु शुभकामनाएं। हमारे बैंक द्वारा मंगला प्रकाशित की जाती है। इसकी एक प्रति हम इस पत्र के साथ आपके अवलोकनार्थ भेज रहे हैं। इसकी एक प्रति आपके पास भेजने हेतु अपनी पता सूची में आपका नाम शामिल कर लिया है।

(डॉ. जयंती प्रसाद नौटियाल)
मुख्य प्रबंधक कार्पोरेशन बैंक

प्रतिक्षण अनुभव लेता हूं कि मौन सर्वोत्तम भाषण है।
अगर बोलना ही चाहिए तो कम से कम बोलो।
एक शब्द से चले तो दो नहीं।

प्रकाशक एवं मुद्रक : श्री ओ.पी. पुरी, सहायक महाप्रबंधक द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली के लिए अल्का लिथोग्राफिक्स इंक, डब्ल्यू जैड-572ओ, नारायणा, नई दिल्ली से छपवाकर राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर 5-ए, तृतीय तल, भारतीय पर्यावास केन्द्र, नई दिल्ली-110 003 से प्रकाशित-संपादक, ओ.पी.पुरी

पंजी. सं. DELHI IN/2001/6138

राष्ट्रीय
आवास बैंक

मुद्रण तिथि : 25 जनवरी 2007